दिशा के वर्ष 20

ge ,d ,sls lerkeyd lekt dh LFkkiuk ds fy, dk;Z djrs gSa ftlesa fyax] tkfr rFkk /keZ ds
vk/kkj ij dksbZ HksnHkko u gks rFkk tks lekt lekufrd] vkfFkZd rFkk jktuhfrd volj iznku djrk gks

यह दस्तावेज 1984 से अब तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा दिशा परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साक्षात्कार पर आधारित है।

निम्न लोगों ने इस दस्तावेज के तैयार करने में योगदान दिया है

के. एन. तिवारी जिन्होंने अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाला, संकल्पना पर चर्चा की तथा अंतिम रूप देने से पूर्व लेखों को कई बार पढ़ा

सुरेशो सैनी, **शाहीन परवीन**, **रेहाना अदीब** तथा अन्य **महिला कार्यकर्ताओं** ने फोटो संग्रह से इस दस्तावेज के लिए धैर्य पूर्वक चित्रों का चयन किया

अनिरुद्ध अग्निहोत्री, **पलटू राम**, **रिचा रस्तोगी**, **रोनाल्ड मनी** तथा **संजय राणा** ने इस दस्तावेज को तैयार करने में विभिन्न प्रकार से सहयोग दिया

इस दस्तावेज का संपादन **शचीन्द्र शर्मा** ने किया। वह इस अवसर पर के. एन. तिवारी तथा दिशा परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं

दिशा तथा **दिशा सामाजिक संगठन** का तात्पर्य है **दिशा सोशल आर्गनाइजेशन** जिस नाम से संगठन पंजीकृत है

डिजाइन **ठाकुर मोहन कुमार**। **एच. के. प्रिंटर्स**, 5 मंगल नगर, सहारनपुर – 247 001 में मुद्रित

विषय वस्तु

अध्यक्ष का संदेश		**4**
प्रस्तावना		
1984:	**उद्‌भव**	**6**
	श्रमिक शिक्षण	
1985:	**घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा का जन्म**	**8**
	संचार	
	विकास वालन्टियर वाहिनी	
	जल भराव समस्या का निराकरण	
1986:	**महिला जागृति समिति**	**11**
1989:	**समान मजदूरी संघर्ष**	**12**
	किशोरियों के लिए शिक्षा	
	महिलाओं की समता के लिए शिक्षा – महिला समाख्या	
1991:	**उत्तरकाशी**	**15**
	कानूनी सहायता	
	भूमि सुधार	
	महिलाओं के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्यक्रम	
1992:	**प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण प्रारंभ**	**17**
1993:	**शराब विरोधी आन्दोलन**	**18**
1995:	**पंचायती राज**	**20**
	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	
	स्वयं सहायता समूह	
	उत्तरकाशी प्रशिक्षण केन्द्र	
1996:	**विकास पहल**	**23**
	टिहरी गढ़वाल	
	जलागम विकास	
1998:	**संयुक्त वन प्रबंधन**	**25**
1999:	**कृषि विविधीकरण**	**26**
	टिहरी भूकंप राहत	
	हरित क्रांति पर अनुसंधान	
2000:	**महिला प्रकोष्ठ तथा नारी अदालत**	**29**
	महिलाओं के अधिकारों के लिए एडवोकेसी	
2002:	**चिरंतर कृषि**	**32**
	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य	
	आय उपार्जन	
2003:	**देहरादून**	**33**
	किशोरियों के लिए शिक्षा	
उपसंहार		**35**

अध्यक्ष का संदेश

मुझे यह जान कर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिशा ने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मेरा दिशा से संबंध उतना ही पुराना है जितना संगठन अपने आप में है। औपचारिक रूप से मैं दिशा के शासी निकाय की सदस्य लगभग एक दशक पूर्व बनी।

प्रारंभिक दिनों में दिशा दो लोगों की टीम के साथ कुछ गांवों में कार्यरत थी। आज यह व्यावसायिक प्रबंधन के साथ दो राज्यों में कार्यरत है। यह वास्तव में एक बड़ा परिवर्तन है। मैं विश्वास करती हूं ये परिवर्तन प्रकाशित होने वाले 'दिशा के 20 वर्ष' दस्तावेज में उचित प्रकार से सामने आएंगे।

मैं इस अवसर पर अपने सभी दाताओं, समर्थकों तथा शुभेच्छुओं को धन्यवाद देती हूं।

पूर्णिमा जैन
अध्यक्ष

प्रस्तावना

बीस वर्ष पूर्व दिशा ने उस क्षेत्र के ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए पहला चरण उठाया जिसे उस समय भी 'विकसित' कहा जाता था। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में विकसित रहा होगा। लेकिन हमने पाया कि यहां पर भी लोगों का एक वर्ग रोजी–रोटी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा था, लैंगिक विभेद अपने चरम पर था तथा कामगरों का शोषण आम बात थी। उस समय यह क्षेत्र दुर्गम था क्योंकि साल भर चालू रहने वाली सड़कें यहां नहीं थीं।

हमने स्थिति को समग्रता में देखा। हम यह नहीं कहेंगे कि हमने सुव्यवस्थित तरीके से कार्य प्रारंभ किया। वास्तव में संभवतः कोई भी स्वैच्छिक संगठन ऐसा दावा नहीं कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यह समग्र छवि हमारे अचेतन में थी।

चार मुद्दों ने तत्काल हमारा ध्यान खींचा। पहला था पठेड़ गांव में बुनकरों की दशा। दूसरा था बान मजदूरों का शोषण जो बाजार, बिचौलियों तथा प्रणाली के शिकार थे। तीसरा था बालिकाओं एवं महिलाओं की दशा। और अंतिम था श्रमिक वर्ग की स्थिति। हमने चारों मुद्दों में छोटे–छोटे हस्तक्षेप किए।

बीस वर्षों में हमने कई सारे अन्य मुद्दों को संबोधित किया है। कई मामलों में हमें सफलता मिली तथा कई में असफलता मिली। इस बीच में क्षेत्र के लोगों का जीवन वास्तव में सकारात्मक रूप से बदला है तथा हम एक व्यावसायिक प्रबंधन वाले संगठन में विकसित हुए हैं।

आने वाले पृष्ठों में हम इन रोचक तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

के. एन. तिवारी
निदेशक

1984: उद्भव

दिशा सामाजिक संगठन का गठन सहारनपुर जिले के एक अर्द्ध–नगरीय क्षेत्र सुलतानपुर में 1984 में हुआ था। दिशा के गठन की स्थिति अभिनव थी। कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संगठन सेन्टर फार डेवेलपमेन्ट आफ इन्स्ट्रक्शनल टेक्नोलोजी, सेन्डिट, शिक्षा तथा विकास के लिए संचार तकनीकी का उपयोग सक्रियता से कर रहा था। ग्रामवासियों के साथ चर्चाओं के दौरान सेन्डिट ने अनुभव किया कि एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए जो ग्राम विकास का महत्वपूर्ण कार्य कर सके। लगभग दो वर्षों तक चली चर्चा के बाद दिशा का उद्भव 25 जनवरी 1984 को हुआ।

प्रारंभिक दौर के कार्यक्रम विशेष रूप से मजदूर वर्ग, बालिकाओं तथा महिलाओं पर केन्द्रित थे। इसके पीछे विचार था कि स्थानीय लोगों के साथ संबंधों की स्थापना हो तथा विशेष रूप से उनकी जीवनयापन से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके।

पहली गतिविधि के रूप में दिशा के मुख्यालय सुलतानपुर से लगभग 6 किमी दूर पठेड़ गांव में बुनकरों के लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ताकि वे गड्ढों वाले करघों से फ्रेम वाले करघों को अपना सकें। लेकिन प्रशिक्षित बुनकरों के लिए धन की व्यवस्था करने के प्रयासों को केवल आंशिक सफलता मिल सकी। हांलाकि बुनकरों के प्रशिक्षण को सरकारी एजेन्सियों के सहयोग से आयोजित किया गया था, इसका फालोअप आक्सफैम के सहयोग से किया गया। आक्सफैम आज भी दिशा को सहयोग दे रहा है।

अगला लक्ष्य थे बान मजदूर। बान एक रस्सी है जिसे हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में उगने वाली जंगली घास भाभड़ से तैयार किया जाता है। उस समय क्षेत्र में लगभग 40,000 बान मजदूर थे। बान मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं तथा भूमिहीन हैं। बान मजदूरों को भाभड़ पर पारंपरिक अधिकार थे, परंतु परिदृश्य पर बिचौलियों के आ जाने से बान मजदूरों की दशा धीरे–धीरे खराब होती गई। दिशा ने अपना ध्यान डंडौली खेड़ा नामक गांव में केन्द्रित किया। इस गांव में काफी बड़ी संख्या में बान मजदूर रहते हैं। जहां एक ओर इसने बान मजदूरों को कोआपरेटिवों में संगठित करना प्रारंभ किया, वहीं दूसरी ओर इसने वन अधिकारियों के साथ समझौता वार्ता प्रारंभ की। आने वाले वर्षों में बान मजदूरों ने वन अधिकारियों से सफलतापूर्वक भाभड़ के दोहन के तरीके तथा उसकी दर पर समझौता किया। इस पहलू का विस्तृत विवरण बान मजदूरों के आन्दोलन वाले खंड में दिया गया है।

फिरोजाबाद गांव में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी मुसलमान महिलाओं के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को ऋण तथा अनुदान दिया गया। लेकिन जैसा कि पारंपरिक बुनकरों के मामले में था यह प्रशिक्षण इतना पर्याप्त नहीं था कि महिलाएं व्यवसाय को अपना सकें। पूर्णता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी सहयोग से फालोअप प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। फालोअप प्रशिक्षण से महिलाओं के समूह में आत्मविश्वास का संचार हुआ।

(ऊपर) दाहिने बैठी हुई मनोरमा कुकरेती, बांए बैठी जाह्नवी तिवारी, बांए खड़े हुए संस्थापक सदस्य राजीव जैन, बीच में खड़े हुए तत्कालीन अध्यक्ष एच. के. गुप्ता तथा दाहिने खड़े हुए एक आगन्तुक (नीचे) एक बुनकर जिन्होंने फ्रेम करघा अपनाया

दिशा का मूल उद्देश्य कथन थाः ''दमित वर्ग के लोगों को सामाजिक–आर्थिक उत्थान तथा मानवीय तथा भौतिक सर्वांगीण विकास के लिए संगठित करना... विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के सहकारी संघों का गठन करना तथा सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को जुटाना''।

समय बीतने के साथ उद्देश्य कथन का नवीनीकरण हो गया है। अब यह हैः ''मुख्य रूप से वंचित तथा दमित लोगों को एकजुट करना ताकि उनके टिकाऊ संगठन बन सकें जिससे उनका सर्वांगीण – सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक – विकास हो सके तथा महिलाओं पर विशेष जोर के साथ शक्तिहीनों का सशक्तीकरण हो सके''।

सुलतानपुर, अब्दुल्लापुर अहाड़ी तथा पठेड़ गांवों में तीन शिक्षण केन्द्रों का प्रारंभ किया गया। इनमें से दो महिलाओं तथा एक पुरुषों के लिए था। इन शिक्षण केन्द्रों से ग्राम वासियों के साथ संबंध बनाने में काफी सहायता मिली क्योंकि वे अपनी समस्याओं एवं मुद्दों

के प्रति खुलने लगे।

दिशा के अस्तित्व के प्रथम वर्ष में ही स्वास्थ्य हस्तक्षेप भी प्रारंभ किए गए। संगठन ने रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य शिक्षण पर जोर दिया। लेकिन इसने स्वास्थ्य के उपचार संबंधी पहलू को अनदेखा नहीं किया। इसने सीमित सफलता के साथ बायोकेमिक दवाओं, एक्यूपंचर तथा जड़ी बूटियों का उपचार के लिए उपयोग किया।

Jfed f'k{k.k

असंगठित श्रमिकों ने दिशा का ध्यान काफी प्रारंभ में आकर्षित किया था तथा इसकी कुछ प्रारंभिक गतिविधियां उन पर केन्द्रित थीं। इन श्रामका का शोषण इनके नियोजनकर्ता कर रहे थे। ये नियोजनकर्ता इन्हें निर्धारित दरों पर मजदूरी नहीं देते थे तथा महिलाओं को कम मजदूरी देते थे। इन श्रमिकों को शिक्षित करना ताकि उन्हें उनके अधिकारों के लिए संगठित किया जा सके एक बड़ी चुनौती थी। प्रारंभ मजदूरों के लिए एक कैम्प का आयोजन करके किया गया जिसमें 40 बान मजदूरों ने भाग लिया। हांलाकि इस पांच दिवसीय कैम्प में एक विशेष श्रेणी के मजदूरों की विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा की गई फिर भी यह कैम्प दो बिन्दुओं पर सफल रहा। एक इससे श्रमिकों की बातचीत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, विकास खण्ड तथा बैंक अधिकारियों के साथ प्रारंभ हुई। दो, इससे लघु बचत, परिवार कल्याण, कृषि, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए समान मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी, तथा ट्रायसेम तथा समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं की बारीकियों पर चर्चा हुई।

आने वाले वर्षों में इस तरह के कई कैम्पों का आयोजन कार्यक्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर किया गया। श्रमिकों की बढ़ी हुई जागरूकता से श्रमिकों के एक आन्दोलन की नींव पड़ी। यह आन्दोलन क्षेत्र में मजदूरी बढ़वाने में सफल रहा तथा इससे मजदूरी में लैंगिक विभेद काफी कम हो सका।

(बांए से घड़ी की सूइयों की दिशा में) एक महिला अपने घर की खिड़की से झांकती हुई; फिरोजाबाद गांव में महिलाएं सिलाई सीखती हुई तथा महिलाएं अपने स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए

1985: घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा

जहां एक ओर दिशा तथा क्षेत्र में सक्रिय एक अन्य संगठन विकल्प की संयुक्त रणनीति के अंर्तगत बान मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संगठित किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर डंडौली खेड़ा गांव के बान मजदूर एक कोआपरेटिव के अंर्तगत संगठित होने के बारे में विचार कर रहे थे ताकि वे सरकारी एजेन्सियों से ऋण एवं अनुदान प्राप्त कर अपने जीवनयापन की तात्कालिक समस्याओं का समाधान कर सकें।

शीघ्र ही बान मजदूरों तथा सरकारी एजेन्सियों के बीच रस्सी बनाने की मशीन की खरीद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मजदूरों का कहना था कि निर्धारित मशीन द्वारा बनाई गई रस्सी खराब गुणवत्ता की है तथा वह बाजार में कम बिकती है। काफी लंबी चली समझौता वार्ता के बाद सरकारी एजेन्सियों ने मशीन की खरीद की शर्त को समाप्त कर दिया तथा बैंक ने कोआपरेटिव को ऋण जारी कर दिया। इस ऋण से कोआपरेटिव ने लगभग 300 कुंतल भाभड़ सीधे उत्तर प्रदेश वन निगम से खरीदी।

इस समय तक बान मजदूरों का कोआपरेटिव पंजीकृत नहीं था, हांलाकि इसका अपना शासी निकाय था। हांलाकि एक ओर कोआपरेटिव चाहता था कि इसका पंजीकरण हो जाए, वहीं दूसरी ओर इसके सदस्य सरकारी कोआपरेटिव अधिकारियों के हस्तक्षेप से डरे हुए भी थे। उनके सामने एक अन्य विकल्प था कि वे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में पंजीकरण करा लें क्योंकि उनकी गतिविधि रेशा उद्योग में आती थी, जो आयोग के कार्यक्षेत्र में आती है। लेकिन यहां भी वे अधिकारियों के हस्तक्षेप से डरे हुए थे। इसके अलावा बाजार की समस्याएं भी थीं जिसमें बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व था तथा जिनका समूह रस्सी के मूल्य का निर्धारण करता था।

बान मजदूरों ने पंजीकरण के तरीके पर चर्चा करना जारी रखा। वर्ष 1988 में डंडौली खेड़ा गांव के कोआपरेटिव के कागजों को अंतिम रूप दिया गया तथा उन्हें इसके पंजीकरण के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सहारनपुर कार्यालय में जमा कर दिया गया। बान मजदूरों की कोआपरेटिव समिति के पंजीकरण के प्रपत्र सढोली कदीम विकास खण्ड के अन्य गांवों के बान मजदूरों की कोआपरेटिव के नमूने पर तैयार किए गए थे।

लेकिन बान मजदूरों का मानना था कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में कोआपरेटिव के पंजीकरण से उनकी समस्या के केवल एक भाग का ही समाधान हो सकेगा क्योंकि भाभड़ से संबंधित पूरी नीति ही बड़ा मुद्दा था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कम सदस्यता वाला एक पंजीकृत संगठन संभवतः ऐसी स्थिति में नहीं होगा कि वह नीतिगत परिवर्तनों के लिए कार्य कर सके। और ऐसा करने के लिए उनका मानना था एक बड़ा संगठन आवश्यक होगा।

इस विचार से घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा नामक बान मजदूरों का एक संगठन बना। घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा उन लोगों की समस्याओं के समाधान के कई सारे संघर्षों में अग्रणी रहा है जिनसे मिल कर यह बना है। उसने कई बार ऐसा एक अन्य जन संगठन महिला मजदूर एवं लघु किसान मोर्चा के साथ मिल कर किया है।

हांलाकि बान मजदूरों का संघर्ष जारी था, वे 'व्यवस्था के साथ रहना' नहीं भूले। चूंकि उत्तर प्रदेश वन निगम भाभड़ को 50 कुंतल या उससे अधिक मात्रा में ही बेंचता था और चूंकि बड़ी मात्रा में भाभड़ का भंडारण बान मजदूरों के सामने समस्याएं उत्पन्न कर रहा था, इसलिए निर्णय लिया गया कि डंडौली खेड़ा गांव में भाभड़ के लिए एक गोदाम का निर्माण किया जाए। वर्ष 1987 में आधा बीघा भूमि पर 45 फिट लंबा, 20 फिट चौड़ा तथा 15 फिट ऊंचा चहारदीवारी से घिरे गोदाम का निर्माण किया गया। गोदाम की क्षमता 300 कुंतल भाभड़ का भंडारण करने की थी। यह गोदाम अब तक कार्यरत है तथा बान मजदूरों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।

आपस में बढ़ती चर्चा से बान मजदूरों ने अनुभव किया कि उनके बच्चों की शिक्षा ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधार सकती है। चूंकि गांव का

बान के उत्पादन के विभिन्न चरण

(ऊपर) डंडौली खेड़ा गांव में भाभड़ का भंडारण करने के लिए बने गोदाम के बाहर एक कार्यक्रम तथा (नीचे) गोदाम के बाहर भाभड़ की बिक्री

प्राथमिक विद्यालय लगभग निष्क्रिय था उन्होंने अपना विद्यालय बनाने का निर्णय लिया। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा कदम था। विद्यालय ने 1986 में काम करना प्रारंभ किया। अगले वर्ष एक पक्का कमरा बनाया गया जिसका व्यय बान मजदूरों एवं दिशा ने आधा–आधा उठाया। लगभग पांच वर्ष पूर्व इस विद्यालय का सरकार ने अधिग्रहण किया तथा आज यहां पर एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय चल रहा है।

इन वर्षों में घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा बान मजदूरों की मुख्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। उनके लंबे आन्दोलनों के कारण भाभड़ की दर रु. 170 प्रति कुंतल पर निश्चित की गई। बाद में इसे रु. 200 प्रति कुंतल कर दिया गया। अंत में तीन वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया गया कि कोई भी बान मजदूर वन से अपने सिर पर एक बोझ भाभड़ रु. 13 के शुल्क का वन विभाग को भुगतान कर ला सकता है। यह वास्तव में उनकी एक बड़ी जीत थी तथा इससे कच्चे माल की समस्या का समाधान हो गया है – भले ही कुछ समय के लिए।

lpkj

इस समय तक दिशा ने उन लोगों के साथ एक सीमा तक संबंध बना लिए थे जिनके साथ इसने कार्य करने का निर्णय लिया था। लेकिन संगठन में एक अनुभूति विकसित हो रही थी कि किस प्रकार न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम लोगों तक पंहुचा जाए। ऐसा करने का एक तरीका था लोगों को संदेश पंहुचाने के लिए लोक संचार माध्यम का उपयोग। संगठन ने दिल्ली स्थित एक सांस्कृतिक समूह आलारिप्पू से संपर्क किया ताकि वह अपने कार्यकर्ताओं को स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय बोली में पटकथाएं विकसित करने एवं नुक्कड़ नाटकों का मंचन करने में प्रशिक्षण दे। पंद्रह दिन तक चले प्रशिक्षण के अंत में एक काम चलाऊ संचार टीम का गठन हो गया था। बाद में कठपुतली प्रर्दशन के लिए भी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पहले प्रशिक्षण के बाद से आने वाले कुछ वर्षों तक संचार कार्यकर्ताओं के लिए हर वर्ष प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। इसके बाद संचार टीम ने अपने आप नई पटकथाओं के विकास एवं नाटकों के अभ्यास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना

प्रारंभिक दिनों में किसी गांव में नाटक दिखाने जाती हुई संचार टीम, तथा (नीचे) हाल के वर्षों में संचार कार्यशाला का एक दृश्य

नाटक एवं कठपुतलियों के शीर्षक

- *कहां है आदमी,* लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देते हुए नाटक
- *औरत तेरी यही कहानी,* महिलाओं की दशा पर नाटक
- *पंचायती राज,* स्थानीय स्वशासन के विषय पर नाटक
- *किसान नई दिशा की ओर,* प्रगतिशील किसानों पर नाटक
- *बंटवारा,* परिवार में विभाजन के प्रभावों पर नाटक
- *कौमी एकता,* राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर नाटक
- *बिन बात की बात,* बेकार की बातों से कुछ भी नहीं मिलता विषय पर नाटक
- *तीसरी जगह,* महिलाओं की दशा पर नाटक
- *अंधेर नगरी चौपट राजा,* वर्तमान स्थिति पर नाटक
- *सामाजिक सौहार्द्रता,* सामाजिक समरसता पर नाटक

प्रारंभ कर दिया।

आज तक संचार टीम लोगों को विकास के संदेश पंहुचा रही है तथा पूरे कार्यक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए लोगों को एकजुट कर रही है।

समय बीतने के साथ संचार टीम का कार्य काफी निखर गया है। टीम को लोगों, सरकारी एजेन्सियों एवं आगंतुकों से प्रशंसा मिली है। इसे राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई पारितोषिक भी मिले हैं।

fodkl okyfUV;j okfguh

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के विकास वालन्टियर वाहिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 'लोगों के ऋण के माध्यम से विकास' पर शिक्षित करना था। इसमें ऐसे सामान्य पुरुषों तथा महिलाओं का एक संगठन था जिन्होंने सफलता पूर्वक ऋण के माध्यम से विकास के पांच सिद्धान्तों[1] को व्यवहार में लाया हो तथा जिन्होंने इन सिद्धान्तों का प्रसार ग्रामीणों के बीच करने के लिए स्वेच्छा से अपने आप को प्रस्तुत किया हो। गतिविधि के अर्न्तगत 'बैंकों के मित्र' या 'विकास मंगल' नामक संस्थाओं का गठन किया गया था।

क्षेत्र या विशिष्ट स्वयं सेवकों का चयन ऋण लेने वालों के बीच में से किया गया था। क्षेत्र स्वयं सेवकों ने गांवों में बैंकिंग प्रणाली के प्रसार कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य किया। कार्यक्रम के प्रारंभ से जिले एवं बैंकों के शीर्षतम अधिकारी ग्रामीणों के सामने आए। इन स्वयं सेवकों के लिए कई प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया गया।

विकास वालन्टियर वाहिनी के आयोजन

ty Hkjko leL;k dk fujkdj.k

दिशा के मुख्यालय के निकट लगभग 15 गांव जल भराव की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित थे। ये गांव दो नदियों मसकरा तथा गंगरो के बीच स्थित हैं। ये दोनो नदियां शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं तथा यमुना में मिल जाती हैं। उनकी तलहटी के लगातार उठने के कारण वर्षा ऋतु में ये नदियां भूमि के बड़े क्षेत्र में बाढ़ लाती थीं। इससे वर्षा ऋतु में कृषि कार्य असंभव हो जाता था तथा केवल शीतकालीन फसलें ही उगाई जा सकती थीं।

ग्रामवासियों से और अधिक चर्चा तथा अवलोकन से पता चला कि जल भराव की समस्या का निराकरण करने के अंग्रेजों के शासन काल में कुछ कच्चे नालों को खोदा गया था। लेकिन समय बीतने के साथ ये नाले भी गाद भरने के कारण बेकार हो गए। इससे यह अंदाजा लगा कि यदि नालों काा पुर्नजनन कर दिया जाए तो समस्या का निराकरण हो सकता है।

समस्या के समाधान के लिए दिशा ने जल भराव की समस्या को विभिन्न स्तरों पर उठाया। इसने छोटे तथा मंझोले किसानों को अभिप्रेरित किया कि वे एक कमेटी बनाएं ताकि समस्या के समाधान के लिए संबंधित सरकारी विभाग पर दबाव बनाया जा सके। राज्य सरकार के साथ सघन एडवोकेसी एवं लाबींग के बाद नालों का जीर्णोद्धार किया गया तथा लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि को वापस पाया गया। परिणामस्वरूप गांवों में जीवन सुधर गया तथा ये गांव आज क्षेत्र के सबसे समृद्ध गांवों में आते हैं।

[1] सिद्धान्त थेः (क) ऋण को विज्ञान तथा तकनीकी की उचिततम विधि के अनुरूप उपयोग में लाया जाना चाहिए, (ख) ऋण की शर्तों या तकनीकी–आर्थिक पहलुओं का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, (ग) कार्य को दक्षता के साथ किया जाना चाहिए ताकि उत्पादकता एवं आय को बढ़ाया जा सके, (घ) ऋण द्वारा अर्जित आय का एक भाग बचाया जाना चाहिए, तथा ऋण की किश्तों का भुगतान समय से किया जाना चाहिए ताकि औरों को ऋण दिया जा सके

1986: महिला जागृति समिति

इस समय तक दिशा को सिलाई केन्द्र चलाकर महिलाओं के साथ कार्य करते हुए लगभग दो वर्ष हो गए थे। इसने पिछड़ी मुसलमान महिलाओं के लिए एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी चलाया था। इस अवधि में इसे महिलाओं के मुद्दों तथा समस्याओं को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि महिलाओं के लिए कुछ किया जाना है तो उन्हें पहले संगठित करना होगा तथा बाद में उन्हें उनके मुद्दों, समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा।

प्रारंभ करते हुए छः गांवों में महिला जागृति समिति नामक महिला संगठनों का गठन किया गया। हर महिला जागृति समिति की अपनी स्वतंत्र अभिशासन संरचना थी। उनमें से हर एक का अपना बैंक खाता भी था ताकि सदस्यता शुल्क जमा किया जा सके। सदस्यता शुल्क के माध्यम से एकत्र छोटी सी राशि आगे चल कर महिलाओं के लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत बनी। ये महिला जागृति समिति बाद में दिशा की महिलाओं के साथ गतिविधियों की वाहक बनीं। कालांतर में महिलाओं ने संगठन के कार्य में सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया।

महिला जागृति समितियों के गठन के शीघ्र बाद महिलाओं में जागरूकता का प्रसार करने के लिए पहले कैम्प का आयोजन 25 जनवरी 1986 को किया गया। इसके बाद नियमित अंतरालों पर कई कैम्पों का आयोजन एक के बाद एक किया गया। जैसे–जैसे कैम्प आयोजित होते गए वैसे–वैसे महिला जागृति समितियों की सदस्यता बढ़ने लगी और गांवों से भी आवाजें आने लगीं कि उन गांवों में भी ऐसी ही समितियों का गठन किया जाए।

हर महिला जागृति समिति अपने अभिनव तरीके से प्रगति करती रही। सभी ने महिला राहत कोषों का गठन किया ताकि सदस्यों को नगद धनराशि आवश्यकता के समय तत्काल दी जा सके। इन कोषों में रु. 400 से रु. 2,000 तक जमा थे। उन्होंने कई सारी आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियां प्रारंभ कीं। यहां पर सुलतानपुर एवं पठेड़ गांवों की महिला जागृति समितियां का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सुलतानपुर की महिला जागृति समिति ने महिलाओं पर अत्याचार तथा सभी स्तरों दुर्बल वर्ग की महिलाओं के शोषण के विरुद्ध सशक्त भावनाएं व्यक्त कीं। यह तथा पठेड़ की महिला जागृति समिति भूमिहीन महिला मजदूरों के बीच उनकी मजदूरी के अधिकारों के लिए जागरूकता का प्रसार करने में सघनता से व्यस्त हो गईं।

सभी महिला जागृति समितियों का एक सम्मेलन 22 मार्च 1988 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में श्रमिक तथा दुर्बल वर्ग की लगभग 500 महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन ने समाज में महिलाओं के लिए समानता, नौकरियों में आरक्षण, शोषण के अंत, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सामाजिक न्याय मांगते हुए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

एक कार्यवाही में सभी गांवों की महिला जागृति समितियों ने स्थानीय गांधी आश्रम तथा बैंक शाखा पर प्रर्दशन स्थानीय बैंक अधिकारियों के महिलाओं के प्रति नकारात्मक तथा असहयोगात्मक व्यवहार के लिए किया। प्रर्दशन अपने उद्देश्य में सफल रहा तथा इससे महिलाओं में आत्मबल का संचार हुआ। इससे आने वाले वर्षों में कुछ बड़े आन्दोलनों की नींव भी पड़ी।

महिलाएं जागीं और संगठित हो कर अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुईं

1989: समान मजदूरी संघर्ष

efgyk etnwj ,oa y?kq fdlku ekpkZ dk tUe

वर्ष 1989 तक कृषि मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी से काफी कम भुगतान किया जाता था। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिकों को पुरुषों की तुलना में रु. 20 प्रतिदिन की दर से जो कि पुरुषों की तुलना में 25 से 50 प्रतिशत कम थी मजदूरी दी जाती थी। बढ़ती हुई जागरूकता के परिणामस्वरूप महिलाओं में सुगबुगाहट होने लगी क्यों न उन्हें न्यूनतम तथा समान मजदूरी का भुगतान किया जाए। खरीफ कटाई के दौरान महिला मजदूरों ने कम मजदूरी पर कार्य करने से इनकार कर दिया तथा उन्होंने समान तथा न्यूनतम मजदूरी की मांग उठा दी। जब उन पर दबाव डाला गया तो सुलतानपुर की महिला मजदूर हड़ताल पर चली गईं। शीघ्र ही हड़ताल अन्य गांवों में भी फैल गई।

एक माह के बाद शक्तिशाली जमींदारों ने अपने साथ छोटे तथा सीमान्त कृषकों को प्रलोभन दे अपने साथ मिला कर हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने हड़ताली महिलाओं पर उनके पतियों के माध्यम से डराने का कार्य किया। उन्होंने महिलाओं को खेतों की मेड़ों से या गांव की साझा भूमि से चारा काटने से भी रोक दिया।

महिलाओं ने इन सभी धमकियों का बहादुरी से सामना किया। उन्होने अपने पशुओं को घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा के सहयोग से शिवालिक पहाड़ियों के नीचे के वनों में चरने के लिए भेज दिया। कई घरों में अनाज समाप्त हो गया था। जिनके पास अधिक अनाज था उन्होंने साझा कोष में दे कर शेष की सहायता की।

हड़ताली महिलाओं ने लघु तथा सीमान्त कृषकों से अनुरोध किया कि वे उनका विरोध न करें क्योंकि वे स्वयं मजदूर ही हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे संघर्ष में जीत जाएंगी तो उनका (लघु एवं सीमान्त कृषकों का) का भी लाभ होगा। लघु एवं सीमान्त कृषकों को इसमें ही अपनी भलाई दिखाई दी एवं उन्होंने जमींदारों को बातचीत के लिए एक प्रस्ताव भेजा। लेकिन ऐन वक्त पर जमींदार वार्ता से पीछे हट गए।

हड़ताली महिलाओं ने तब अपनी ओर से घोषणा की कि वे अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगी जब तक उन्हें न्यूनतम तथा समान मजदूरी नहीं मिल जाती परंतु वे लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों पर रु. 15 प्रतिदिन की मजदूरी पर कार्य करेंगी।

इस घोषणा से आहत जमींदारों ने पुलिस से सहायता मांगी। महिलाओं के जोरदार विरोध के कारण पुलिस ने जमींदारों की सहायता नहीं की, परंतु साथ ही उसने हड़ताली महिलाओं की भी सहायता नहीं की।

संघर्ष को और अधिक बल देने के लिए दिशा ने 27 दिसम्बर 1989 को महिला मजदूर एवं लघु किसान सम्मेलन का आयोजन किया। जमींदारों द्वारा खड़ी की गई तमाम बाधाओं के बावजूद सम्मेलन जोर दार ढंग से सफल रहा। इसमें 19 सूत्रीय मांग पत्र का अनुमोदन किया गया तथा 2 जनवरी 1990 को इसे जिले के अधिकारियों को सौंपा गया। इस सम्मेलन में महिला मजदूर एवं लघु किसान मोर्चा का जन्म हुआ।

धीरे–धीरे जमींदार पटरी पर आ गए तथा उन्होंने महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन शासन द्वारा मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरी मिलने में अभी भी काफी समय मिलने की संभावना है।

महिला मजदूर एवं लघु किसान मोर्चा के वार्षिक सम्मेलन की एक झलक। यह दिन अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं कामगरों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है

fd'kksfj;ksa ds fy, f'k{kk

प्रौढ़ महिलाओं की साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए पांच गांवों में छः शिक्षण केन्द्रो की स्थापना की गई थी। हर एक केन्द्र में 15 से 20 महिलाओं को कार्यात्मक शिक्षा दी गई। इन केन्द्रों में प्रयुक्त पुस्तकों की व्यवस्था राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित शिक्षा के संसाधन केन्द्र साक्षरता निकेतन से की गई थी, जबकि

दिशा के वार्षिक दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा दलितों, पिछड़ों,

एक अनुदेशिका प्रौढ़ महिलाओं की कक्षा लेते हुए तथा (नीचे) किशोरियां अपनी क्षमताओं का प्रर्दशन करते हुए

अन्य सामग्री की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गई थी। एक को छोड़ कर सभी केन्द्र केवल एक वर्ष चले।

प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन था कि प्रौढ़ महिलाओं के साथ किशोरियां भी कक्षाओं में समय–समय पर आती रहीं। किशोरियों, विशेष रूप से मुसलमान किशोरियों, की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से काफी अधिक थीं।

इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए दिशा ने किशोरियों को शिक्षण सुविधाएं देने का निर्णय लिया। ये बालिकाएं वे थीं जो धार्मिक, सामाजिक तथा पारिवारिक कारणों जैसे कि छोटे भाई–बहनों की देखभाल, माताओं की घरेलू काम–काज में सहायता, आदि, के कारण औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गई थीं।

वर्तमान में किशोरियों के लिए शिक्षण केन्द्र 10 गांवों में चलाए जा रहे हैं। इन शिक्षण केन्द्रों में अनुदेशिकाएं स्थानीय तथा उच्च स्तर पर अभिप्रेरित हैं। बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। साथ ही इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी गई हैं ताकि बालिकाओं को उनके जीवन तथा यदि उनकी इच्छा हो तो आगे की शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके।

अभिभावकों तथा विद्यार्थियों की सहभागिता शिक्षण केन्द्रों की गतिविधियों की कुंजी है। केन्द्रों में 'विद्यार्थियों' के अभिभावकों को हर माह आयोजित होने वाली अभिभावक–अध्यापक बैठकों में अनिवार्य रूप से आना होता है। 'विद्यार्थियों' की अनुपस्थिति को अभिभावक–अध्यापक बैठकों

महिलाओं ने अपने छिपे कौशल को इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया

ग्रामीण महिलाएं अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरीं। (नीचे) सहारनपुर की महिलाए टिहरी गढ़वाल जिले में अपनी बहनों के साथ चर्चा करते हुए

में काफी अधिक महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी यूनीफार्म का चयन स्वयं करें।

किशोरियों के शिक्षण केन्द्रों को टिकाऊ बनाने के लिए हाल में ही कुछ चरण उठाए गए हैं। 'विद्यार्थियों' के अभिभावकों ने केन्द्रों के चलाने पर होने वाले व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए रु. 10 प्रतिमाह का मामूली सा योगदान देना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त वे अपनी बच्चियों के लिए लेखन सामग्री की व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। लेकिन संगठन अभी भी बालिकाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है।

efgykvk dh lerk d fy, f'k{kk & efgyk lek[;k

रा ष्ट्रीय शिक्षा नीति का निष्कर्ष था कि अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण महिलाएं निरक्षर हैं। इस नीति ने महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष जोर दिया ताकि उन्हें समान शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जा सकें एवं असमानताओं को समाप्त किया जा सके।

भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक के 10 जिलों में संबंधित राज्य सरकारों एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से प्रारंभ किया।

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर एक जिला था जहां पर दिशा इस कार्यक्रम का सहयोगी संगठन था। कार्यक्रम का क्रियान्वन सरसावां तथा सढोली कदीम विकास खण्डों के 60 गांवों में किया गया। हर गांव में महिला संघों का गठन किया गया। कार्यक्रम की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए समुदाय में से सखियों की पहचान की गई। हर 10 महिला संघों पर एक सहयोगिनी की नियुक्ति की गई।

सखियों, सहयोगिनियों तथा परियोजना से संबंधित अन्य कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिए गए। समुदाय के स्तर पर कई सारे क्षमता वृद्धि के प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। इन सब से महिलाओं में जागरूकता का प्रसार हुआ। वे खुलने लगीं तथा अपनी समस्याओं एवं मुद्दों के साथ सामने आने लगीं। बैठकों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले भी सामने आने लगे। आने वाले वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रतिकार संगठन की प्रमुख गतिविधियों में से एक बन कर उभरा।

लेकिन बाद में कई सारे ऐसी अवांछित घटनाएं हुईं जिनसे महिलाओं की समता का आन्दोलन काफी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। भारत सरकार ने कार्यक्रम का क्रियान्वन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया था। लेकिन बाद में राज्यों में महिला समाख्या समितियों का गठन किया गया तथा 1991 में जिला क्रियान्वन इकाइयों का गठन किया गया। जिला क्रियान्वन समितियों के गठन के बाद संगठन को मिलने वाला धन धीरे–धीरे समाप्त होने लगा। वर्ष 1994 के अंत तक दिशा तथा महिला समाख्या कार्यक्रम का संबंध समाप्त हो गया।

लेकिन महिलाओं को जागरूक करने का आन्दोलन अन्य स्रोतों के सहयोग से जारी रहा।

दिशा के वर्ष 20

1991: उत्तरकाशी

उत्तरकाशी जिले में 21 अक्टूबर 1991 को एक बड़ा भूकम्प आया था। भूकम्प ने उत्तरकाशी नगर तथा साथ लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर विनाश किया, लगभग 1,000 लोगों को मारा तथा इससे कहीं अधिक लोगों को अपंग बना डाला।

स्वाभाविक था कि भुक्तभोगियों का पुर्नवास शासन तथा स्वैच्छिक संगठनों सहित अन्य संगठनों के लिए प्राथमिकता हो गया। सभी ने भुक्तभोगियों के लिए कार्य प्रारंभ किया।

राहत कार्यों की प्रगति के साथ यह स्पष्ट हो गया कि इतना बड़ा विनाश इसलिए हुआ क्योंकि क्षेत्र के निवासियों ने अपने आवास बनाते समय भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग नहीं किया था।

इस बात के सामने आते ही शासकीय संगठन लोक अभियान तथा ग्रामीण तकनीकी परिषद (कपार्ट) ने लोगों को भूकंप रोधी निर्माण तकनीकी का प्रर्दशन करने के लिए बीड़ा उठाया। यह निर्णय लिया गया कि यह प्रर्दशन स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से किया जाएगा। कपार्ट ने इस प्रयास में दिशा को एक पार्टनर के रूप में चुना।

एक त्रिपक्षीय बैठक में दिशा, कपार्ट तथा उत्तरकाशी के प्रशासन ने निर्णय लिया कि दिशा मुख्य रूप से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेगा। बैठक में उन सात गांवों के नामों का भी चयन किया गया जहां पर यह कार्य किया जाना था। इन सभी गांवों में अनुसूचित जातियों की एक बड़ी संख्या थी तथा इनमें से अधिकांश निर्धनता की रेखा से नीचे वास करते थे।

चयनित गांवों में सर्वेक्षण के बाद उचित स्थलों पर भूमि का अर्जन किया गांव वालों के परामर्श से किया गया। उचित तैयारी के उपरांत कुछ महीनों बाद माडल प्रर्दशन आवास तथा सामुदायिक भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया। दिशा ने उदालका, डुण्डा तथा नाकुड़ी गांवों में सामुदायिक भवनों तथा उदालका गांव में एक माडल आवास का निर्माण किया। इन संरचनाओं को बाद में ग्राम प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया।

उदालका गांव में सिंचाई की नहर कई स्थानों पर टूट गई थी तथा संगठन ने इसकी मरम्मत की। इससे ग्रामवासी कृषि कार्यों को फिर से प्रारंभ कर सके।

और जब यह कार्य चल ही रहा था, वहां पर संगठन के कर्मियों ने ग्रामवासियों से चर्चा के उपरांत निष्कर्ष निकाला कि गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए संगठन को आने वाले समय में कुछ समय तक उपस्थित रहना होगा। गांव वालों की मांग पर उन्होंने सिलाई तथा बुनाई के लिए कुछ प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया।

लेकिन ये केवल छोटे–छोटे हस्तक्षेप थे। यदि गांवों को वास्तव में विकसित किया जाना था तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं का उपयोग किया जाना होगा। सभी गांवों में भूमि कृषि तथा उद्यानिकी के लिए काफी उपयुक्त पाई गई।

इस दिशा में एक छोटी सी शुरुआत फलों तथा सब्जियों की पौध उगा कर की गई। लेकिन समग्र तरीका यह था कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा जलागम विकास के माध्यम से कार्य किया जाए। इनका विवरण आगे दिया जा रहा है।

(ऊपर) किसी गांव में ध्वस्त एक आवास; (बीच) एक आवास के स्वामी अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हुए; तथा (नीचे) उदालका गांव में बनाए गए एक माडल आवास के सामने खेलते हुए बच्चे

dkuuh lgk;rk

जैसे–जैसे दमितों एवं निर्धनों का आन्दोलन आगे बढ़ा, निहित स्वार्थों ने संगठन पर कुछ मुकदमे दायर कर दिए। इस परिपेक्ष्य में इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया गया कि देश के कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। शीघ्र ही संगठन में एक कानूनी सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को उनके जीवन से संबंधित कानूनों के बारे में जागरूक करना था।

कानूनी पहलुओं में संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए कई प्रशिक्षणों का आयोजन संगठन के मुख्यालय पर किया गया। वापस क्षेत्र में कई कैम्पों का आयोजन किया गया ताकि ग्रामवासियों को उनके जीवन से संबंधित कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके। इन कैम्पों ने भूमि सुधार (नीचे देखें), गांवों की साझा भूमि, न्यूनतम मजदूरी, समान मजदूरी, आदि, को संबोधित किया। महिलाओं से संबंधित कानूनों को प्रमुखता दी गई ताकि दहेज तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसी कुरीतियों से निपटा जा सके। बाद के वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा संगठन के हस्तक्षेप का एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा।

शीघ्र ही कुछ कार्यकर्ता पुलिस तथा न्यायालय की प्रक्रियाओं के बारे में काफी निपुण हो गए क्योंकि उन्हें तमाम मामलों के बारे में थाने तथा न्यायालय जाना पड़ता था। उन्होंने अपने अनुभवों का आदान प्रदान ग्रामीणों के साथ किया तथा ग्रामवासी शीघ्र ही यह जान सके कि यदि उनके गांव में कोई अपराध होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए।

Hkfe l/kkj

घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा तथा महिला मजदूर ्‍ ‍ु किसान मोर्चा ने वे कई मुद्दे जिनमें हस्तक्षेप किया में से एक था भूमिहीनता का मुद्दा। मोर्चे संगठन के सामने सरकार द्वारा पट्टे पर किए गए भूमि वितरण में हुई धांधलियों को सामने लाए। निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

प्रारंभ करते हुए दोनों मोर्चों ने मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बादशाही बाग तथा रेहणा गांव में कई सारी बैठकें कीं। इन बैठकों में निर्णय लिया गया कि वे राजस्व अधिकारियों से संपर्क करेंगे ताकि अधिकारी भूमि समस्याओं के स्थल पर अध्ययन के लिए कुछ गांवों का भ्रमण करें। इन गांवों में से कई गांवों में पट्टा धारकों के पास उनकी पट्टे की भूमि का कब्जा नहीं था।

बाद में भूमिहीनता के मुद्दे पर और समझ बनाने के लिए एक सघन सर्वेक्षण किया गया। दस गांवों से भूमिहीनता के 258 मामले सामने आए। यह भी पाया गया कि इन गांवों में लगभग 200 लोगों को यमुना तथा अन्य छोटी नदियों की तलहटी में भूमि पट्टे पर दे दी गई थी।

इसके बाद मुद्दे के समाधान के लिए एक अभियान चलाया गया। अभियान में सम्मिलित थे अधिकारियों के सामने याचिका करना तथा न्यायालयों में मुकदमे दायर करना। मोर्चों तथा संगठन के लगातार प्रयासों से आने वाले वर्षों में भूमिहीनता के कई मामले सफलतापूर्वक निपटाए गए।

efgykvk d fy, byDVkfuD l

इस गतिविधि को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन इलेक्ट्रानिक्स सचिव रीता सिन्हा की पहल पर प्रारभ किया गया था।

सिन्हा एक बार संगठन के भ्रमण पर आई थीं। उन्होंने इस बात की संभावनाओं की तलाश की थी कि महिलाओं की उनके घर के निकट इलेक्ट्रानिक सामानों को बनाने की दक्षता विकसित कर सहायता की जाए।

इस गतिविधि के क्रियान्वन के लिए दिशा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स सचिव, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स सचिव, अपट्रान, उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम जो इलेक्ट्रनिक्स सामानों विशेष रूप से टेलीविजन सेट, रेडियो सेट तथा कैसेट रिकार्डरों का उत्पादन करता था, के बीच बहु पक्षीय समझौता कर व्यवस्था की गई।

प्रबंधन के पहलुओं के लिए एक अलग संगठन – प्रगतिशील ग्रामोद्योग संस्थान – का गठन किया गया।

एक कार्यशाला में रेडियो कैसेट रिकार्डरों का उत्पादन करती महिलाएं

औपचारिकताओं के बाद नवम्बर 1991 में प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण के लिए अनुदेशक अपट्रान से आया। चूंकि प्रशिक्षणार्थियों को इलेक्ट्रानिक्स में औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं थी इसलिए अनुदेशक ने प्रशिक्षण के लिए अभिनव विधियों का प्रयोग किया। तीन महीने के प्रशिक्षण के उपरांत 30 महिलाएं सफल रहीं।

लेकिन प्रशिक्षित महिलाओं को कार्य करने के लिए रेडियो कैसेट रिकार्डर किटों के लिए तीन महीने प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन ये किटें वे नहीं थी जिन पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। इन्हें वापस भेज दिया गया।

आने वाले दो वर्षों में रेडियो कैसेट रिकार्डरों की लगभग 150 किटें दो खेपों में आईं। महिलाओं ने इन पर कार्य किया तथा उत्पाद को अपट्रान भेज दिया गया।

परियोजना अपने उद्देश्य में असफल रही क्योंकि इससे ऐच्छिक मात्रा में कार्य नहीं हो सका एवं प्रतिभागी महिलाओं की वास्तव में कुछ भी आय नहीं हो सकी।

प्रशासनिक समस्याओं के कारण परियोजना 1994 में समाप्त कर दी गई।

दिशा के वर्ष 20

1992: प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण प्रारंभ

वर्ष 1992 तक दिशा ने आठ वर्ष पूरे कर लिए थे। इस अवधि में इसकी गतिविधियों का काफी विस्तार हो गया था। अभी तक यह अपनी गतिविधियों का संचालन आम के बाग के एक कोने में बने हुए बहुत पुराने भवन से कर रहा था।

इस भवन में स्थान बहुत सीमित था तथा प्रशिक्षणों का आयोजन खुले में किया जाता था। यह स्वाभाविक था कि सर्दी, गर्मी तथा बरसात से कार्य प्रभावित होता था। इसके अतिरिक्त इसमें कार्यालय के लिए भी स्थान नहीं था। इस समय निर्णय लिया गया कि एक कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र संकुल का निर्माण किया जाए।

निर्माण के लिए संगठन को भूमि दिशा के एक संस्थापक सदस्य राजीव जैन ने 99 वर्षों की लंबी लीज पर दी। वह उसी आम के बाग के स्वामी हैं जिसमें पुराना भवन स्थित था। निर्माण के लिए सहयोग ब्रेड फार वर्ल्ड तथा मिजेरियो नामक दाता संगठनों से प्राप्त हुआ। निर्माण कार्य मार्च 1992 में प्रारंभ हुआ। यह कई चरणों में पूर्ण हुआ तथा इसमें एक अन्य दाता संगठन कोर्डएड ने भी योगदान दिया।

जैसा कि यह प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालय संकुल है इसमें प्रतिभागियों के आवास के लिए तीन डार्मीटरी, संसाधन व्यक्तियों के लिए तीन कक्ष, भोजन कक्ष, कर्मचारियों के आवास तथा एक कार्यालय कक्ष हैं। संगठन के सभी आवासीय प्रशिक्षण यहीं से संचालित होते हैं।

इसके अतिरिक्त इस सुविधा का उपयोग प्रायोजित प्रशिक्षणों के आयोजन में भी किया जाता है। इस सुविधा का उपयोग अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपनी कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा प्रशिक्षणों के आयोजन के लिए भी किया जाता है।

समय बीतने के साथ प्रशिक्षण केन्द्र न केवल सहारनपुर जिले में बल्कि निकटवर्ती जिले में भी प्रशिक्षण की एक प्रमुख सुविधा के रूप में उभर कर सामने आया है। सामान्य प्रशिक्षण सामग्री, कम्प्यूटर, फोटोकापी मशीनें, आदि, यहां उपलब्ध हैं।

विभिन्न संसाधन संगठनों द्वारा प्रशिक्षण विधियों में प्रशिक्षित संसाधन व्यक्ति भी संगठन में प्रशिक्षक के रूप में उपलब्ध हैं।

'(ऊपर कोने से घड़ी की सुइयों की दिशा में) दिशा के सचिव के. एन. तिवारी प्रशिक्षण केन्द्र की नींव रखते हुए तथा उनकी पत्नी देखती हुई; संगठन के कार्यकर्ता इस अवसर को एक दूसरे पर रंग डाल कर मनाते हुए; तथा वर्तमान में आवासीय ब्लाक का एक दृश्य

1993: शराब विरोधी आन्दोलन

सुलतानपुर से लगभग 6 किमी दूर पठेड़ गांव में एक देशी शराब की दुकान पठेड़ एवं अन्य गांवों की महिलाओं के लिए काफी कठिनाइयां उत्पन्न कर रही थी। इन प्रभावित महिलाओं ने संगठन के निर्देश में दुकान से लड़ने का निर्णय लिया। आन्दोलन 100 दिनों तक चला तथा इसके अंत में दुकान बंद हो गई।

निर्धनता तथा निरक्षरता के बावजूद पठेड़ तथा संलग्न गांवों में 1989 तक जीवन सरल था जब वहां अप्रैल के महीने में देशी शराब की एक दुकान खोली गई। कुछ दिनों में क्षेत्र की महिलाओं ने दुकान का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने दुकान के कर्मचारियों को कहा कि वे दुकान को किसी और स्थान पर ले जाएं। लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ। तब उन्होंने सहारनपुर के जिला प्रशासन से संपर्क किया ताकि दुकान को बंद किया जा सके। प्रशासन ने वादा किया कि वह अगली नीलामी के समय दुकान को बंद कर देगा। लेकिन प्रशासन ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस प्रकार तीन वर्ष बीत गए।

अब पठेड़ तथा निकटवर्ती गांवों की महिलाएं उद्वेलित होती जा रही थीं क्योंकि बोतल से निकलने वाली बुराइयों ने उनके जीवन को नष्ट कर दिया था। वे चाहती थीं कि दुकान को तत्काल बंद कर दिया जाए। उन्होंने सहारनपुर में 24 मार्च 1993 को एक प्रर्दशन किया। इस दिन वित्तीय वर्ष 1993–94 के लिए नीलामी होनी थी लेकिन उस दिन नीलामी नहीं हुई।

पठेड़ की महिलाओं ने 31 मार्च 1993 को दुकान पर कब्जा कर लिया तथा उसके सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गईं। संगठन के कर्मियों ने न केवल धरने का समर्थन किया बल्कि उसमें सहभागिता भी की एवं लोगों को उसके लिए लामबंद भी किया। आने वाले दिनों में उन्होंने ठंडी रातें, गर्म दिन तथा कई बार आंधी एवं बरसात का भी सामना किया। लेकिन वे अपनी जगह से तब तक नहीं हटीं जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता।

जब सूरज पूरे जोरों से चमक रहा था 23 जून 1993 को महिलाएं सहारनपुर नगर में दुकान की बंदी के लिए एक मांग पत्र देने जिलाधिकारी के कार्यालय जा रही थीं। तभी उन्होंने पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। लाठीचार्ज में लगभग 50 महिलाएं घायल हुईं। टूटे हुए हाथ पैरों के साथ महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उन पर आई. पी. सी. तथा सी. आर. पी. सी. की विभिन्न धाराओं के अंर्तगत मुकदमे दायर कर दिए। ये मुकदमे न्यायालयों में कई वर्षों तक चलते रहे।

(ऊपर बांए से घड़ी की सूइयों की दिशा में) पठेड़ गांव की उद्वेलित महिलाएं जबरन देशी शराब की दुकान बंद कराते हुए; महिला जागृति समिति के बैनर के तले महिलाएं तथा पुरुष 100 दिनों तक चलने वाले धरने पर बैठे; दुकान की बंदी की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मिलने जाते हुए लोग सहारनपुर में सड़कों पर; नारे लगाते आन्दोलनकारी; जुलूस में संजय गर्ग जो अब उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री हैं; पुलिस कार्यवाही जिसमें आन्दोलकारियों, विशेष रूप से महिलाओं, को पीटा गया तथा ठोकरें मारी गईं; एक व्यक्ति के सर से बहता रक्त पोंछते हुए उसके साथी; जिला अस्पताल में घायल महिलाएं; तथा धरना स्थल पर विजय दिवस का कार्यक्रम

आन्दोलन के अगुवा लोगों को बंदी बनाए जाने का भी भय था। परंतु ऐसा नहीं हुआ, यही एक मात्र संतोष था।

अंत में महिलाओं के अगुवा राज्यपाल के सामने मुद्दा उठाने में सफल रहे। राज्यपाल नगर में 29 जून को आए थे। इस पर भी जिला प्रशासन ने राज्यपाल को भ्रम में डालने का प्रयास किया। लेकिन राज्यपाल के आदेशों से दुकान को अंततः 2 जुलाई को बंद कर दिया गया। वह सहारनपुर के इतिहास में एक सुनहरा दिन था तथा संगठन के कर्मियों की एक बड़ी विजय थी।

आन्दोलन के दौरान कई सारी महिलाओं ने काफी कष्टों का सामना किया। उन्होंने अपने परिवारों के गुस्से का सामना किया। इन परिवारों ने यह पसंद नहीं किया कि वे इस प्रकार की किसी गतिविधि में भाग लें। उन्हें स्थानीय गुंडों तथा शराब के ठेकेदार के गुर्गों से भी खतरा था। एक बिन्दु पर उनके अपहरण का भी खतरा था। तीन महिलाओं के बच्चे भी आन्दोलन के दौरान चल बसे।

दुकान बंद होने के एक वर्ष बाद पठेड़ में जीवन तेजी से सुधर गया। घरों, गलियों एवं सड़कों पर शांति लौट आई। लोग तेजी से समृद्ध होने लगे। ऐसे कई मामले थे जिनमें दुकानदार शराब के आदी हो गए थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय चौपट कर लिया था।

पठेड़ आन्दोलन के एक वर्ष बाद जिले में एक अन्य गांव हरिया के वासी संगठन के कर्मियों के पास आए। उनकी कहानी भी पढेड़ गांव की तरह ही थी। उन्होंने अपने गांव में शराब की दुकान हटाने के लिए आन्दोलन करने में सहायता चाही। आपसी परामर्श के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं तथा हरिया के निवासियों ने आन्दोलन प्रारंभ करने के लिए 13 जनवरी की तिथि दे दी। लेकिन प्रशासन ने निर्धारित तिथि से पूर्व ही दुकान बंद कर दी।

शराब बन्दी आन्दोलन का व्यापक प्रभाव आज भी जारी है। वर्ष 2003 की शुरुआत में चिलकाना की शराब की दुकान की शाखा दुकान के रूप में देशी शराब की एक उप दुकान चिलकाना में खोली गई। यह दुकान महिलाओं सहित क्षेत्र के निवासियों के लिए समस्याएं खड़ी कर रही थी। मोर्चा सदस्यों की अगुवाई में ग्रामवासी एक प्रार्थना पत्र के साथ जिलाधिकारी से मिले तथा फरवरी 2003 में उन्होंने दुकान बंद करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। इससे सामूहिक नेतृत्व की शक्ति का पता चलता है।

1995: पंचायती राज

भारत के संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के शीघ्र बाद दिशा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की संस्था पंचायतों को सशक्त करने के प्रयास प्रारंभ किए। एक ओर इसने अपने मोर्चा सदस्यों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अभिप्रेरित किया ताकि वे पंचायतों में पदों को प्राप्त कर सकें, दूसरी ओर इसने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया। इसने कार्यशालाओं का आयोजन किया, पंचायत प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों की आमने सामने चर्चा कराई तथा राज्य स्तरीय संगठनों के साथ अनुसंधान एवं एडवोकेसी प्रयासों में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त इसने पंचायतों के बारे में ताजा घटनाओं के बारे में साधारण ग्रामवासियों में जागरूकता का भी प्रसार किया।

पंचायती राज में प्रशिक्षण पंचायती राज व्यवस्था तथा पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार एवं दायित्वों पर केन्द्रित थे। सभी पंचायती राज प्रशिक्षणों में जेण्डर एक अभिन्न भाग था तथा पंचायतों में महिलाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षणों को आज भी समय समय पर आयोजित किया जाता है जब पंचायती राज व्यवस्था में कोई नई घटना होती है।

दिशा ने पंचायती राज व्यवस्था पर कार्यशालाओं का आयोजन किया तथा राज्य तथा देश के स्तर पर ऐसे आयोजनों में भाग लिया। ऐसा एक आयोजन था पंचायत निर्वाचन में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका। मंडलायुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ चर्चाएं आयोजित की गईं।

पंचायत निर्वाचनों में हस्तक्षेपों में सम्मिलित थे ग्रामवासियों के बीच जागरूकता अभियान ताकि लोग बड़ी संख्या में मतदान करें एवं 'सही प्रतिनिधियों' का चयन करें। जागरूकता अभियान का जोर ग्राम पंचायत सदस्यों पर था क्योंकि वे अपने साथ के ग्रामवासियों के सबसे निकट के जन प्रतिनिधि होते हैं। अन्य हस्तक्षेपों में सम्मिलित थे नामांकन पत्र भरना, जाति प्रमाण पत्रों एवं अधिकार प्रमाण पत्रों की व्यवस्था करना एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करना। वर्ष 2000 के निर्वाचन में लगभग 400 प्रत्याशियों को उनके नामांकन पत्र भरने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता दी गई।

पंचायत प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम की एक झलकी

पंचायती राज में हस्तक्षेपों की एक उपलब्धि थी दिशा को आधिकारिक सहमति जिसके अनुसान उसे निर्धनता की रेखा से नीचे वास करने वाले लोगों (बी. पी. एल.) की सूचियों के तैयार करने में हस्तक्षेप करने को कहा गया। यह सहमति तब मिली जब बी. पी. एल. सूचियों के तैयार करने में गंभीर अनियमितताओं का उस समय पता चला जब दिशा ने सहारनपुर के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अनुरोध पर इन सूचियों के आधार पर स्वयं सहायता समूहों के गठन का कार्य प्रारंभ हुआ। खोज–बीन करने पर पता चला कि सूचियों को तैयार करने में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने लोगों के नाम अपनी इच्छा पर रखने प्रारंभ किए तथा इस प्रकार ऐसे तमाम अयोग्य लोगों के नाम भी सूचियों में आ गए। इस मुद्दे को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठकों में उठाया गया जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि दिशा बी. पी. एल. सूचियों के निर्माण में हस्तक्षेप करेगा।

पंचायत निवासियों के बीच जागरूकता प्रसार के प्रयासों से ग्राम स्तर पर अभिशासन की छवि निखरने लगी है:

- जब खेड़ा मेवात के ग्राम प्रधान ने इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों से रिश्वत मांगी तो लाभार्थियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष शपथ पत्रों के साथ शिकायत की। जिला पंचायत राज अधिकारी ने मामले की जांच की तथा ग्राम प्रधान को दोषी पाया तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की
- इसी ग्राम पंचायत में विद्यालय के भवन के निर्माण को लेकर विवाद था। जब गांव वालों ने विरोध किया तो विवाद का समाधान हो सका एवं विद्यालय का भवन तेजी से बन गया।

lEi.k lk{kjrk vfHk;ku

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान केन्द्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। इसका लक्ष्य था 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के सभी वयस्कों को वर्ष 2000 तक साक्षर बनाना। दिशा ने कार्यक्रम का क्रियान्वन सहारनपुर जिले की बुड्डाखेड़ा तथा बड़गांव न्याय पंचायतों के 22 गांवों में किया।

घरेलू सर्वेक्षण से पता चला कि क्षेत्र में 10,000 से अधिक निरक्षर लोग हैं तथा इनमें से 6,500 से अधिक महिलाएं हैं। संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण राज्य स्तरीय साक्षरता संसाधन केन्द्र साक्षरता

निकेतन में किया गया।

संसाधन व्यक्तियों ने मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया। मास्टर ट्रेनरों ने स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया। स्वयं सेवकों ने गांवों में साक्षरता केन्द्रों की स्थापना की। औसतन हर केन्द्र में 15 प्रौढ़ों ने शिक्षा प्राप्त की।

अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर लामबंदी के प्रयास किए गए। संचार टीम ने गांवों में 30 प्रर्दशन किए। इसके बाद साक्षरता रैलियां निकाली गईं। अपनी सायकिलों पर सवार बड़ी संख्या में लोगों ने इन रैलियों में भाग लिया।

कार्यक्रम में सीखने वालों के लिए केवल किटों का प्रावधान था तथा प्रकाश के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए सीखने वालों ने हर महीने 50 पैसे एकत्र किए तथा एकत्र धन से संगठन ने जिला प्रशासन से मिट्टी के तेल का कोटा जारी करने के लिए अनुरोध किया।

अभियान में विद्यालय न जाने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों ने काफी रुचि दिखाई। यह अलग बात है कि उन्हें शिक्षण केन्द्रों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

कार्यात्मक पक्ष पर यह पाया गया कि छः माह में किट में दी हुई तीनों पुस्तकों को पूरा करना सीखने वालों के लिए काफी कठिन था। इसके अतिरिक्त उचित तथा योग्य स्वयं सेवकों की कमी सदैव बनी रही।

स्वयं सहायता समूहों का एक प्रशिक्षण चलते हुए

Lo;a Igk;rk leg

नब्बे के दशक के प्रारंभ में कार्यक्षेत्र की अभिप्रेरित महिलाओं ने बार–बार दिशा पर दबाव डाला कि वह उन्हें कुछ आर्थिक विकल्प उपलब्ध कराए ताकि उनका भविष्य सुधर सके। संगठन ने कुछ पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों के साथ प्रयोग किए परंतु वे असफल रहे क्योंकि वे ऊपर से बनाए हुए थे। लगभग इसी समय स्वयं सहायता समूहों की संकल्पना देश में जन्म ले रही थी। दिशा ने 1995 में निर्णय लिया कि वह कार्यक्षेत्र के 60 गांवों में इतने ही स्वयं सहायता समूहों के गठन का प्रयोग करे।

प्रारंभ में कई कठिनाइयां आईं क्योंकि उस समय गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं लोगों के लाखों रुपए लेकर भाग गईं थीं तथा महिलाएं किसी के साथ भी वित्तीय लेन–देन नहीं करना चाहती थीं। लेकिन एक बार जब कुछ स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ, कारवां चल निकला। शीघ्र ही पुरुषों, किसानों तथा सामान्य लोगों के स्वयं सहायता समूह भी बने।

जो कुछ एक छोटे से चरण के रूप में प्रारंभ हुआ था बाद में एक बड़ी छलांग में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2003–04 के अंत में 1,445 स्वयं सहायता समूह बन गए थे। इनकी संयुक्त सदस्यता 17,110 थी। इन स्वयं सहायता समूहों में रु. 1.62 करोड़ की बचत थी तथा इन्हें बैंकों की विभिन्न शाखाओं से रु. 1.95 करोड़ का ऋण प्राप्त था। प्रति सदस्य धन की उपलब्धता रु. 2,088.50 थी जबकि प्रति स्वयं सहायता समूह धन की उपलब्धता रु. 24,727.84 थी।

हाल में सरकार ने समाज के वंचित भाग के आर्थिक उत्थान में स्वयं सहायता समूहों के महत्व को स्वीकार किया है। इसने स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न कल्याण/विकास संबंधी

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए आयोजित एक गतिविधि

योजनाओं से जोड़ा है तथा नीतिगत निर्णय लिया है कि सरकारी योजनाओं के लाभ केवल स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे न कि व्यक्तियों को। इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों को सशक्तीकरण के अनन्तिम साधन के रूप में देखा जाने लगा है।

स्वयं सहायता समूहों की क्षमता वृद्धि पर काफी ध्यान दिया गया है। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों के वृत्ति लेखन तथा लेखा रख रखाव में प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित किए गए हैं। चूंकि कई स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं अतः वे इन प्रशिक्षणों का लाभ नहीं उठा पाए हैं। इन परिस्थितियों में अभिनव तरीकों जैसे कि स्वयं सहायता समूहों से संबंधित लिखित कार्य के लिए किसी पढ़ी लिखी बालिका की सेवाओं का प्रयोग किया गया है।

प्रशिक्षण के अलावा दिशा ने स्वयं सहायता समूहों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग भी दिया है क्योंकि यह मानता है कि हर स्वयं सहायता समूह दूसरे से अलग है तथा एक सा प्रशिक्षण हर स्वयं सहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इनमें से कुछ सहयोग थे बैठकों के आयोजन के लिए बताना, बैंकों में खाते खोलना, अग्रिम सीमाओं की स्वीकृति प्राप्त करना तथा आय उपार्जन गतिविधियों के लिए दक्षताओं को प्रदान करना।

यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए गए हैं कि स्वयं सहायता समूह केवल धन के लेन–देन का मंच बन कर न रह जाएं। स्वयं सहायता समूहों को न केवल आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम माना जाता है, बल्कि उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण का भी माध्यम माना जाता है। यही दिशा का स्वप्न भी है।

हाल में स्वयं सहायता समूहों को संघों में संगठित करने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हर संघ में सदस्यों के रूप में 20 स्वयं सहायता समूह हैं। बाद में स्वयं सहायता समूहों का एक महासंघ बनाया जाएगा। एक बार जब यह संरचना तैयार हो जाएगी, यह अपेक्षा की जाती है कि संघ तथा संघों का महासंघ एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरेंगे जो कि समाज तथा बाजार में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

उत्तरकाशी में प्रशिक्षण केन्द्र

mRrjdk'kh if'k{k.k dUn

जब उत्तरकाशी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य चल रहा था, यह अनुभव किया गया कि संगठन क्षेत्र में एक लंबे समय तक उपस्थित रहेगा। इस अनुभूति के साथ उत्तरकाशी में एक प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालय का निर्माण करने आवश्यकता का अनुभव किया गया। केन्द्र के निर्माण के लिए उन सभी गांवों जिनमें संगठन कार्य कर रहा था के केन्द्र में देवीधार में भूमि खरीदी गई। निर्माण कार्य कपार्ट के आरंभिक आर्थिक सहयोग से प्रारंभ हुआ। लेकिन संगठन के नियंत्रण के बाहर कई कारणों से निर्माण कार्य कई वर्षों तक रुका रहा। अंततः मूल योजना को कम किया गया तथा भवन को आक्सफैम के सहयोग से पूरा किया गया। एक मंजिले इस भवन में एक प्रशिक्षण/बैठक कक्ष, एक कार्यालय कक्ष, एक रसोई घर, एक स्टोर, दो शौचालय तथा एक स्नान कक्ष हैं। इस प्रशिक्षण केन्द्र में केवल गैर आवासीय प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ाव से कई जीवनों में सुधार हो का है। पूरा क्षेत्र ऐसी सफलता की कहानियों से भरा हुआ है:

- सरोज दाशामाजरा गांव के सागर स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। इसके पास कुछ कृषि योग्य भूमि है जिसे यह कृषि के लिए किराए पर देती थी। जब वह स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनी तो उसने अपनी भूमि पर कृषि करने का निर्णय लिया। वह भूमि पर दो वर्षों से खेती कर रही है तथा अच्छा लाभ अर्जित कर रही है।
- बड़गांव गांव में छः महिलाओं ने 15 बीघा कृषि भूमि किराए पर ली तथा वे उस भूमि पर सामूहिक रूप से खेती कर रही हैं।
- रामप्यारी पांजबांगर गांव में अंकुर स्वयं सहायता समूह की सदस्य है तथा भूमिहीन है। उसने अपने स्वयं सहायता समूह से धन उधार लिया तथा अपने बेटे के लिए किराने की एक दुकान खरीदी। ऋण वापस करने के बाद उसने समूह से फिर ऋण लिया तथा अपने पति के लिए सब्जी का व्यवसाय प्रारंभ किया।
- शीला रघुनाथपुर गांव में साथी स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। उसने अपने स्वयं सहायता समूह से ऋण लिया तथा अगरबत्ती का कार्य प्रारंभ किया। वह अगरबत्तियों का उत्पादन करती है तथा उसका पति अगरबत्तियों को विभिन्न दुकानों पर बेंचता है। परिवार अब रु. 150 प्रतिदिन कमा रहा है। यह उस परिवार के लिए एक बड़ी राशि है जो कुछ वर्षों तक मजदूरी से होने वाली छोटी सी आय पर निर्भर था।
- महमूदपुर में तुलनात्मक रूप से एक नया स्वयं सहायता समूह सामान्य ऋण तथा बचत की गतिविधि के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण में लगा है। इस समूह के सदस्यों ने सरकार के पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में जागरूकता का प्रसार करने में प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि गांव के सभी बच्चों को पोलियो की दवा की बूंदें मिलें।

1996: विकास की पहल

fn'kk dk 0;fDr;k ,o NkVs lxBuks dk lg;kx

इस पहल के मूल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की स्थिति को एक अध्ययन 'उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के मुद्दे एवं प्राथमिकताएं' में जोरदार ढंग से उठाना निहित है। इस अध्ययन के बाद राज्य के पांच भौगोलिक–आर्थिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप की रणनीति बनाई गई थी। दिशा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में चुना गया था।

गतिविधि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों तथा विकास अभिमुख लोगों के साथ सघन संपर्क के साथ प्रारंभ हुई। पहले वर्ष में तीन स्वैच्छिक संगठनों, नौ समुदाय आधारित संगठनों तथा एक व्यक्ति को वित्तीय सहयोग दिया गया। अगले वर्ष दो और स्वैच्छिक संगठनों तथा चार और स्वैच्छिक संगठनों को सहयोग दिया गया। तीसरे वर्ष सहयोग दिए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या घट कर तीन रह गई जबकि व्यक्तियों की संख्या बढ़कर तीन हो गई। इस वर्ष किसी भी समुदाय आधारित संगठन को सहयोग नहीं दिया गया। जिन स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों तथा व्यक्तियों को सहयोग दिया गया उनका विवरण नीचे बाक्स में दिया जा रहा है।

संगठनों तथा व्यक्तियों को सहयोग केवल वित्तीय सहयोग तक ही सीमित नहीं था। प्रथम वर्ष में सम्मिलित संगठनों तथा व्यक्तियों की क्षमता वृद्धि के लिए छः प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। उनकी संख्या अगले वर्ष बढ़कर 12 हो गई।

शैक्षणिक संयोग केवल उन्हीं संगठनों तथा व्यक्तियों तक सीमित नहीं था जिन्हें वित्तीय सहयोग दिया गया था – यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों तथा विकास अभिमुख व्यक्तियों के लिए खुला था। संगठनों तथा व्यक्तियों के पास कई सारे पर्यवेक्षकीय तथा अनुश्रवणीय भ्रमण किए गए ताकि उनका कार्य सरल हो सके।

रिंगाल कारीगरों को ऊपर जैसे वनों से रिंगाल मिलता था जब तक वनों में उनकी पंहुच रोकी नहीं गई

fVgjh x<oky

टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में रिंगाल कारीगर रहते हैं जो बेंत की एक प्रजाति रिंगाल से कलात्मक वस्तुएं बनाकर अपना जीवनयापन करते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद केन्द्र सरकार ने 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई के सभी वनों में सभी प्रकार के दोहन पर रोक लगा दी तो इन कारीगरों की दशा खराब होने लगी। दिशा ने जिले के जखोली विकास खण्ड की हिन्दाव पट्टी के सात गांवों में कार्य करने का निर्णय लिया।

प्रारंभिक बैठकों के बाद रिंगाल कारीगरों ने 30 सदस्यीय रिंगाल दस्तकार समिति का गठन किया। दिशा ने समिति को रु. 10,000 का

समर्थित स्वैच्छिक संगठन

1. प्रगतिशील बाल विकास संस्थान, बिजनौर
2. आनन्द निकेतन सोसायटी, पौड़ी गढ़वाल
3. तहरीक सामाजिक एसोसिएशन, सहारनपुर
4. मेन्स इन्स्टीट्यूट फार डेवेलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग, गाजियाबाद
5. नवजागृति समाज विकास संस्थान, फिरोजाबाद

समर्थित समुदाय आधारित संगठन

1. बाल्मीकि युवक मंगल दल, सहारनपुर
2. युवक मंगल दल, सहारनपुर
3. उत्तर प्रदेश वालेन्टरी हेल्थ एसोसिएशन, देहरादून
4. उत्तराखण्ड एस. बी. डी. आर्गनाइजेशन
5. अम्बेडकर चेतना मंच, सहारनपुर
6. पल्स पोलियो कार्यक्रम, सहारनपुर
7. महिला मजदूर एवं लघु किसान मोर्चा, सहारनपुर
8. ईद एवं होली मिलन समारोह, बिजनौर
9. इण्डियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, सहारनपुर
10. घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा, सहारनपुर
11. घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा, हरिद्वार
12. रविदास महासेवा समिति, सहारनपुर
13. उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार परिषद, सहारनपुर

समर्थित व्यक्ति

1. योगेन्द्र सिंह, मुजफ्फरनगर
2. अरुणा सैनी, सहारनपुर
3. नमिता गुहा, सहारनपुर

हस्तक्षेपों के प्रारंभ होने से पूर्व क्षरित जलागम

रिवाल्विंग फंड दिया। समिति ने हर महीने बैठकों का आयोजन किया ताकि सदस्यों की समस्याओं पर चर्चा की जा सके। ये समितियां आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही थीं। समिति ने रिंगाल कारीगरों की समस्याओं को ग्राम पंचायत, विकास खण्ड तथा वन विभाग में उठाया।

संगठन के सुझाव पर रिंगाल की कमी को पूरा करने के लिए समिति ने वाणिज्यिक स्तर पर रिंगाल की खेती करने का निर्णय लिया। चूंकि पर्वतों में भूमि की काफी कमी है, इसलिए समिति ने वन विभाग तथा ग्राम पंचायत से संपर्क कर उसे भूमि देने को कहा। वन विभाग ने भूमि देने से मना कर दिया परंतु ग्राम पंचायत ने समिति को भूमि दे दी। इसके अतिरिक्त समिति ने रिंगाल की खेती के लिए कुछ निजी भूमि की भी व्यवस्था की।

इसके साथ यह आशा की गई कि कारीगरों को आने वाले तीन वर्षों में रिंगाल उपलब्ध हो जाएगा।

t ykxe fodkl

उत्तरकाशी में डुण्डा विकास खण्ड मुख्यालय के निकट एक जलागम का संरक्षण तथा विकास 1996 में प्रारंभ हुआ। इस जलागम का क्षेत्रफल लगभग 1,200 हेक्टेयर है तथा इसमें सात गांव आते हैं। जलागम के निवासियों में मुख्य रूप से एक अनुसूचित जाति भूटिया, कई अनुसूचित जातियां तथा गढ़वाली हैं।

जलागम का नाम भागीरथी जलागम रखा गया। इसमें तीन सूक्ष्म जलागम हैं तथा यह उत्तर–दक्षिण दिशा से पूर्व की ओर अभिमुख है। जलागम में भूमि द्वितीय श्रेणी की, ऊंची नीची तथा पथरीली है। कृषि पारंपरिक तथा मानव एवं पशु श्रम पर आधारित है। यह पूरी तरह से मुख्यतः मानसून के चार महीनों की वर्षा पर निर्भर है। परिणामस्वरूप कृषि उपज सामान्य से कम है तथा लोग अकृषकीय गतिविधियों जैसे कि नौकरी, व्यापार तथा श्रम पर आधारित हैं।

आवश्यक समुदाय संघटन संरचना – जलागम कमेटी – का गठन प्रारंभिक दौर में किया गया था। इसमें हर गांव से दो या तीन सदस्य थे तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। जलागम कमेटी वह नोडल संरचना है जो उपयोगकर्ता समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा क्षमता वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। गतिविधि में सृजित होने वाले लाभों के उचित वितरण तथा परिसम्पत्तियों के रख रखाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं।

क्रियान्वन के पहलुओं के लिए गतिविधि से संबद्ध संगठन के कर्मियों की एक जलागम संरक्षण टीम बनाई गई। इस टीम को देश के विभिन्न संगठनों में क्षमता वृद्धि के प्रशिक्षण प्राप्त हुए।

क्रियान्वन के लिए कई सारी रणनीतियों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें सम्मिलित हैं जागरूकता प्रसार, पौधरोपण, गड्ढे खोदना, निर्माण, प्रशिक्षण तथा भ्रमण। मुख्य जोर जलागम के वानस्पतिक उपचार पर है तथा अभियंत्रीय संरचनाओं के निर्माण पर कम जोर है।

गतिविधि के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत सूचना सूचना बोर्डों पर पेंट कर दी गई है। इन बोर्डों को पंचायत भवन तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया गया है।

भौतिक उपलब्धियां

- जलावन, चारा तथा काष्ठ की 72,284 पौधों का रोपण
- फलोद्यान को प्रोत्साहन देने के लिए 9,803 पौधों का रोपण
- जल रोकने के लिए 1,150 गड्ढों की खुदाई
- कुराह गांव में बेकार पड़ी पानी की पाइप लाइन की मरम्मत; 400 मीटर नई पाइप लाइन बिछाई गई
- बल्ला गांव में 376 मीटर नई पाइप लाइन डाली गई
- जखारी, डुण्डा तथा कुराह गांवों में तीन पानी के टैंकों का निर्माण
- जलागम वासियों के 12 स्वयं सहायता समूहों का गठन
- तीन प्रशिक्षणों – दो प्रबंधन तथा लेखा के रख रखाव तथा एक नर्सरी उगाने के लिए – आयोजित
- एक शैक्षणिक भ्रमण
- जलागम कमेटी तथा जलागम संरक्षण टीम की 24 बैठकें आयोजित
- बीस प्रतिशत योगदान के रूप में श्रमदान के माध्यम से जलागम वासियों ने रु. 1,85,402 एकत्र किए

(ऊपर कोने से घड़ी की सुइयों की दिशा में) जल रोकने तथा पौध रोपण के लिए खोदे गए गड्ढे; जलागम क्षेत्र में स्थापित की गई कई नर्सरियों में से एक के बाहर परिवहन से पूर्व एकत्र पौध; तथा एक बंधी का निर्माण चलता हुआ

1998: संयुक्त वन प्रबंधन

वनों में तथा उनके निकट वास करने वाले लोगों को वनोपज पर अधिकार देने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की तथा इस प्रयास में दिशा एक भागीदार बना। विभाग के एक अधिकारी तथा एक महिला एवं एक पुरुष अभिप्रेरकों की एक संचालन टीम बनाई गई। जिले में तीन प्रकार के वनों (आरक्षित, सिविल तथा सोयम) में से संगठन ने केवल आरक्षित वन क्षेत्र में कार्य किया। कार्य चार वन रेन्जों में आने वाले गांवों में प्रारंभ किया गया तथा बाद में दो अन्य रेन्जों के गांवों को लिया गया। कुल मिला कर 19 गांवों में कार्य किया गया।

कार्यात्मक पक्ष में था सहभागी ग्रामीण आंकलन के आधार पर सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को तैयार करना। इन सूक्ष्म स्तरीय नियोजनों में ग्रामवासियों की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया। गतिविधियों में सम्मिलित थे जागरूकता प्रसार तथा बैठकों, स्वास्थ्य कैम्पों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन।

कुछ निर्माण कार्य भी किया गया। इसमें सम्मिलित थे एक नदी के किनारे सुरक्षा दीवार तथा चेक डैम का निर्माण। सीरी गांव में एक खच्चर मार्ग का भी निर्माण किया गया ताकि ग्रामवासियों का निकटतम मोटर मार्ग से सरलता से संपर्क स्थापित हो सके। एक नर्सरी की भी स्थापना की गई ताकि निवासी पौधरोपण कर सकें एवं वनाच्छादन बढ़ा सकें।

वनों के प्रबंधन को टिकाऊ बनाने के लिए ग्राव वन कमेटियों का गठन हर गांव में गतिविधि प्रारंभ होने के शीघ्र बाद ही कर दिया गया था। सभी गांवों में ग्राम वन कमेटियों ने लागत के 10 से 20 प्रतिशत तक का श्रमदान किया तथा इस धन को ग्राम विकास कोष में जमा कर दिया।

इस धन को बाद में क्रियान्वन चरण के अंर्तगत सृजित परिसम्पत्तियों के रख रखाव में व्यय किया जाएगा।

1999: कृषि विविधीकरण

इस गतिविधि का संचालन सहारनपुर जिले के पांच विकास खण्डों पुंवारका, सढोली कदीम, नकुड़, गंगोह तथा ननौता के सभी गांवों में किया जा रहा है। इस गतिविधि का उद्देश्य है कृषि का विविधीकरण ताकि कृषक समुदाय की आय उनके समूह बना कर तथा उन समूहों को वित्तीय संस्थानों के साथ संबद्ध कर बढ़ाई जा सके।

मचान पर करैले की खेती

इसका उद्देश्य यह भी है कि स्वैच्छिक संगठनों एवं लाभार्थियों की सहभागिता के साथ सरकार की कृषि रणनीति का क्रियान्वन किया जाए ताकि विकास को त्वरित किया जा सके एवं निर्धनता का उन्मूलन किया जा सके, कृषि सेवाओं के प्रसार को सशक्त किया जा सके, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं पुर्नवास को समर्थन दिया जा सके, परियोजना के निवेश को नीतियों एवं विधाई नियामक ढांचे के साथ समेकित किया जा सके, तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ संबंधों को बनाया जा सके।

गतिविधि में गांवों के बारे में सहभागी ग्रामीण आंकलन की विधियों तथा बेसलाइन सर्वेक्षणों के माध्यम से सूचना एकत्रीकरण सम्मिलित है। सहभागी ग्रामीण आंकलन तथा बेसलाइन सर्वेक्षणों से पता चला है कि कृषकों की प्रमुख आवश्यकताएं हैं अन्न उत्पादन, उत्पादन के बाद की गतिविधियां तथा फलोद्यान।

गतिविधि के बारे में जागरूकता नुक्कड़ नाटकों, पोस्टरों एवं पैम्फलेटों, दीवार लेखन तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उत्पन्न की जा रही है। उपगतिविधियों में कृषि प्रणलियों, समेकित पादप एवं पोषण प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन, निवेश आपूर्ति, बाजार के साथ संबंध, कटाई के बाद की गतिविधियां, खाद्य प्रसंस्करण, ऋण संबंध, जैवीय खादों, समूहों की बचत, आदि, सम्मिलित हैं।

हांलाकि कृषकों का प्रशिक्षण एक प्रमुख भाग है, उद्यमिता विकास प्रशिक्षणों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। उद्यमिता विकास के परिणामस्वरूप कृषक मशरूम उत्पादन, डेयरी उत्पादों की तैयारी, बीज बेंचने, अचार उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, जैसी गतिविधियों में सम्मिलित होते जा रहे हैं।

क्षमता वृद्धि के भाग के रूप में कई सारे कृषकों को विभिन्न स्थानों पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया गया ताकि वे अपने परिदृश्य का विस्तार कर सकें एवं वापस आ कर सीख को अपने खेतों में लागू कर सकें। इन स्थानों में सम्मिलित थे पंतनगर, जहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, तथा लखनऊ एवं नई दिल्ली, जहां समय–समय पर कृषि प्रर्दशनियां आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2003–04 के अंत में रु. 87.7 लाख के किसान क्रेडिट कार्ड 2,500 किसानों को जारी किए गए तथा रु. 80.0 लाख की नकद ऋण सीमा 225 समूह सदस्यों को जारी की गई। ऋण की सरल उपलब्धता से किसानों की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी है। एक अन्य उपलब्धि थी जैवीय खादों का अपनाना। इससे किसानों को दोहरा लाभ हुआ है। एक तो उनकी भूमि की गुणवत्ता सुधरी है तथा दो उनका वह धन बचा है जिसे वे रासायनिक खादों पर व्यय करते।

कई सारे किसानों ने जैवीय कृषि को अपनाया है। जैवीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए सहारनपुर नगर में एक दुकान तथा एक दूध की गुमटी खोली गई है। गुमटी में आक्सीटोसिन मुक्त दूध बेंचा जाता है। आक्सीटोसिन मानवों के लिए हानिकारक एक हार्मोन है जिसका इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है ताकि वे तत्काल दूध दे दें।

- महिला स्वयं सहयता समूह कागज के कटोरे, मोमबत्तियां, अचार, नमकीन, वर्मी कम्पोस्ट, आदि, का उत्पादन करने में व्यस्त हैं। कुछ अन्य स्वयं सहायता समूह मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, आदि, में भी व्यस्त हैं
- लगभग 18 हेक्टेयर भूमि पर 25 कृषक स्ट्राबेरी की खेती कर रहे हैं।
- लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की जा रही है
- समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पादप पोषण प्रबंधन, नाडेप तथा वर्मी कम्पोस्ट जैसी तकनीकें क्षेत्र में आईं
- खीरे तथा टमाटर की खेती की नई तकनीकें प्रारंभ

(बांए ऊपर कोने से घड़ी की सुइयों की दिशा में) लो टनेल पालीहाऊस का प्रदर्शन देखते हुए कृषक; अपने धान के खेत से एक किसान कीटों को पकड़मे हुए; महिलाएं सेब का मुरब्बा बनाते हुए; एक किसान का सम्मान होते हुए; उच्च अधिकारी एक किसान की पत्ता गोभी के खेत पर; तथा स्ट्राबेरी का एक खेत

टिहरी भूकम्प राहत

वर्ष 1999 की 28 तथा 29 मार्च को टिहरी गढ़वाल, चमोली तथा रुद्रप्रयाग में एक तेज भूकम्प आया। पीड़ितों को तत्काल राहत समय की आवश्यकता हो गई। दिशा ने भूकंप के 100 पीड़ितों के लिए अस्थाई आवास बनाने का निर्णय लिया। देहरादून स्थित संगठन लोक विज्ञान संस्थान ने इन अस्थाई आवासों का डिजाइन तैयार किया। इसे 'चार में एक कमरा' सेट कहा गया अर्थात एक सेट चार परिवारों के लिए था।

दिशा ने टिहरी गढ़वाल जिले की हिन्दाव पट्टी के लैनी तथा पंगरैना क्षेत्रों में कार्य किया। यह क्षेत्र इतना दुर्गम है कि यहां पर कोई भी राहत कार्य के लिए नहीं पंहुचा था। संगठन का इस क्षेत्र से पुराना संबंध था क्योंकि यहां पर इसने रिंगाल कारीगरों के साथ कार्य किया था। रिंगाल कारीगरों की कमेटी की सहायता ने कार्य को सरल बना दिया था।

क्षेत्र में भूकंप से पीड़ित 403 परिवार थे। चूंकि संगठन के पास केवल 100 परिवारों का प्रावधान था, इसलिए गांवों में खुली बैठकें आयोजित कर सबसे अधिक पीड़ित परिवारों की सूचियां बनाई गईं।

अस्थाई आवासों के लिए भूमि प्राप्त करने में समस्या थी। लोग व्यक्तिगत निर्माण के लिए तो भूमि देने के लिए तैयार थे, परंतु वे सामूहिक आवासों के लिए तैयार नहीं थे। इस समस्या का समाधान ग्राम पंचायत तथा लेखपाल के हस्तक्षेप से किया गया तथा औपचारिक अनुबंध किए गए।

एक और समस्या 40 फिट लंबी तथा 20 फिट चौड़ी समतल भूमि से संबंधित थी। इस समस्या के समाधान के लिए कहीं–कहीं पर एक, दो तथा तीन कमरों के सेट भी बनाए गए। इस प्रकार बने आवासों से 100 परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकी। सभी आवासों को जुलाई 1999 में ग्रामवासियों को उनके उपयोग के लिए सौंप दिया गया।

टिहरी भूकंप पीड़ितों के लिए अस्थाई आवास

हरित क्रांति पर अनुसंधान

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हरित क्रांति, समता तथा पर्यावरणीय संरक्षण पर एक अध्ययन का प्रारंभ अक्टूबर 1999 को किया गया। इस अध्ययन के लिए आंकड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश क पाच जिलों के पांच प्रतिनिधि गांवों से एकत्र किए गए। आंकड़े एकत्र करने में ग्रामवासियों के साथ कई सारे असंरचित साक्षात्कार सम्मिलित थे तथा इन्हें इन जिलों में कार्यरत पांच स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से किया गया।

अध्ययन प्रतिवेदन ने खुलासा किया कि क्षेत्र के किसान हरित क्रांति कृषि से भय तथा उत्पीड़न का अनुभव करते हैं।

इसने टिप्पणी की कि कीटों तथा बीमारियों से फसलों को खतरा हाल के वर्षों में बढ़ रहा है। इसने पाया कि कृषि की अर्थव्यवस्था बड़े तथा छोटे किसानों के लिए अलग–अलग प्रकार से कार्य करती है। एक बड़ा किसान मुक्त बाजार की दशाओं में कार्य करता है, जबकि छोटे किसान के मामले में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसने व्यापारियों से ऋण लिया होता है। अध्ययन ने पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा दी कि प्रायोगिक तौर पर कार्य प्रारंभ किया जा सके।

अध्ययन के प्रतिवेदन को प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित एक समारोह में जारी किया गया।

हरित क्रांति अध्ययन के प्रतिवेदन को जारी करने के लिए आयोजित समारोह की एक झलकी

2000: महिला प्रकोष्ठ तथा नारी अदालत

नारी अदालत की एक झलक; (दाएं) पीड़ित महिलाएं अपनी व्यथा बयान करते हुए

संगठन में एक महिला प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है ताकि महिलाओं के बीच किए जा रहे कार्य को उचित स्थान दिया जा सके। महिला प्रकोष्ठ को एक सुसज्जित कार्यालय दिया गया है। कानूनी सहायता से संबंधित कर्मियों को प्रकोष्ठ में स्थानांतरित किया गया तथा कुछ नए कर्मियों की नियुक्ति की गई। पुराने तथा नए दोनों कर्मियों का अभिमुखीकरण किया गया ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके।

गठन के शीघ्र बाद ही महिला प्रकोष्ठ ने पीड़ित महिलाओं को राहत देने के लिए किए जा रहे हस्तक्षेपों के लिए रणनीतियां बनानी प्रारंभ कर दीं। इनमें से सबसे प्रमुख थी नारी अदालत की व्यवस्था। प्रारंभ में नारी अदालतों को हर माह की 24 तारीख को आयोजित किया जाता था, परंतु बाद में तिथि को बदल कर 10 कर दिया गया। पीड़ितों के क्षेत्रों के प्रमुख लोगों को नारी अदालत में बुलाया जाता था ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

महिला प्रकोष्ठ के बनने के बाद से दस्तावेजीकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है। हर मामले को विधिवत 'पंजीकृत' किया जाता है तथा तथ्यों के सत्यापन के लिए किए गए क्षेत्र भ्रमण की घटनाओं को विस्तार से लिखा जाता है। इससे मामलों के फालोअप में सहायता मिलती है। महिला प्रकोष्ठ मामलों का अद्यतन भंडार रखता है। इसने एक महिला अधिवक्ता की सेवाएं भी ले रखी हैं ताकि इसे विभिन्न मामलों के कानूनी पहलुओं पर सलाह प्राप्त हो सके। यदि आवश्यक होता है तो यह अधिवक्ता न्यायालय में मुकदमे भी लड़ती है।

महिला प्रकोष्ठ हिंसा से पीड़ित विशेष रूप से महिलाओं तथा सामान्य रूप से लोगों की सहायता करता है। समाधान के लिए आने वाले अधिकतर मामले पारिवारिक हिंसा से संबंधित होते हैं – महिलाओं पर उनके पति, ससुर, सास तथा पति के भाइयों द्वारा की गई हिंसा। ऐसे उत्पीड़न के कारण होते हैं दहेज न लाना, महिला का रंग रूप, विवाहेत्तर संबंध, चोरी का संदेह तथा अन्य। महिला प्रकोष्ठ हिंसा को बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज, आत्महत्या, हत्या, मानसिक हिंसा, नागरिक हिंसा, अपहरण, स्वास्थ्य हिंसा, अत्याचार तथा अन्य के समूहों में वर्गीकृत करता है।

अधिकतर मामलों में महिला प्रकोष्ठ के कर्मियों द्वारा बातचीत से महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे कई मामले रह जाते हैं जिनमें ऐसी वार्ता से कोई परिणाम नहीं निकलता है तथा मामलों को सक्षम अधिकारियों के पास समाधान के लिए ले जाया जाता है।

बहुधा महिला प्रकोष्ठ पुलिस द्वारा भेजे गए मामलों का समाधान करता है। फिर भी पुलिस के साथ संबंध बहुत सौहार्द्रपूर्ण नहीं हैं क्योंकि प्रकोष्ठ के कर्मी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में तंत्र में फैले भ्रष्टाचार के कारण पुलिस की कार्यवाही पर पैनी नजर रखते हैं। सामान्यतः ऐसे मामलों में प्रकोष्ठ स्थानीय पुलिस पर उच्च पुलिस अधिकारियों के पास अपनी बात ले जा कर दबाव बना लेता है। यदि यह असफल हो जाता है तो केन्द्र सरकार द्वारा गठित महिलाओं की शीर्ष राष्ट्रीय स्तर की संस्था राष्ट्रीय महिला आयोग का हस्तक्षेप कारगर होता है।

महिला अधिकारों के लिए एडवोकेसी

हाल के वर्षों में महिला अधिकारों के लिए एडवोकेसी पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कुछ नया है – पहले अधिकतर प्रयास असंगठित थे, अब वे अधिक संगठित हैं। एडवोकेसी स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है।

स्थानीय स्तर पर महिला प्रकोष्ठ ने स्थानीय,

राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया से संबंध विकसित किए हैं। परिणामस्वरूप सगठन को अब समाचारों में उचित स्थान प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के मुद्दों से संबंधित समाचार पत्रों की कतरनें भी नियमित रूप से रखी जाती हैं। ये कतरनें महिलाओं से संबंधित मुद्दों की सीख का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हाल में महिला प्रकोष्ठ ने एडवोकेसी के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का उपयोग करना प्रारंभ किया है। महिला प्रकोष्ठ की समन्वयक एक महिला पीड़ित के साथ समाचार चैनल स्टार न्यूज के कार्यालय 12 सितम्बर 2003 को गईं तथा उन्होंने इस महिला को समाचार चैनल के समक्ष प्रस्तुत किया।

दिशा ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठनों से अच्छे संबंध विकसित किए हैं। उनके आयोजनों में नियमित रूप से भागीदारी से महिलाओं की ध्वनि दूर–दूर तक फैलती है। इसके अतिरिक्त दिशा इनके साथ संयुक्त रूप से आयोजन करता है।

यहां पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के परिमाण पर एक अध्ययन में दिशा की सहभागिता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस अध्ययन को राज्य की राजधानी लखनऊ में कार्यरत महिला संगठनों के नेटवर्क वामा तथा एक अन्य महिला संगठन आली ने किया था।

अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर संगठन के निदेशक ने 2002 में नीदरलैण्ड का भ्रमण किया। वहां पर उन्होंने समाज कल्याण पर आयोजित अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन में *भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसाः चतुर्दिक प्रगति के बावजूद कष्ट जारी* नामक एक पत्र प्रस्तुत किया। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सामान्य परिदृश्य तथा इस व्याधि से लड़ने में दिशा के अनुभव को प्रस्तुत करते हुए पत्र का निष्कर्ष था कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व्यापक है क्योंकि नितांत निर्धनता, शिक्षा के अभाव, पांच वर्ष से कम आयु में उच्च मृत्यु दर, स्वास्थ्य के खराब स्तर, उच्च जन्म दर तथा उच्च मातृ मृत्यु दर के कारण महिलाएं अत्यधिक भेद्य हैं। सामाजिक मानसिकता भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में योगदान देती है।

(ऊपर से) महिला अधिकारों के लिए एडवोकेसी के लिए जारी प्रशिक्षण; अपने अधिकारों पर जोर देने के लिए महिलाएं सड़कों पर; तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के राष्ट्रीय दिवस को मनाती महिलाएं

दिशा के वर्ष 20

2002: चिरंतर कृषि

देश तथा विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के दुष्प्रभावों को *हरित क्रांति, समता तथा पर्यावरणीय संरक्षणः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अध्ययन* में रेखांकित किया गया था। अध्ययन की अनुशंसाओं का क्रियान्वन करने के लिए प्रर्दशन के तौर पर एक छोटा सा हस्तक्षेप प्रारंभ किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि बिना रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के भी फसलें उगाई जा सकती हैं।

जैवीय रूप से उगाई गई कद्दू की एक प्रजाति

लगभग 1 हेक्टेयर आकार का प्रायोगिक खेत प्रशिक्षण केन्द्र के निकट स्थित है। अन्न, सब्जी, मसाले, काष्ठ, फल तथा फूलों की फसल उगाने के लिए बीजों को विभिन्न लोगों तथा संगठनों से एकत्र किया गया। विशेष ध्यान रखा गया कि बिना रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उगाए गए पारंपरिक बीजों की व्यवस्था की जाए। बीजों को उनके मौसम के अनुसार चरणों में बोया गया। फसलों का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया गया ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके।

मिर्चा, कद्दू, बैंगन तथा टमाटर के बीज संगठन के मुख्यालय के निकट के गांवों के 25 प्रगतिशील कृषकों को बांटे गए। कई और किसानों ने जैवीय कृषि में रुचि दिखाई लेकिन वे किसी हद तक डरे हुए भी थे कि कहीं उनकी उपज कम न हो जाए।

किसानों के साथ कई सारी बैठकों का आयोजन किया गया ताकि उन्हें अभिप्रेरित किया जा सके कि वे चिरंतर कृषि तकनीकों को अपनाएं। इन बैठकों में कृषकों को उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के दुष्प्रभावों तथा मृदा के लगातार गिरते हुए स्वास्थ्य की जानकारी दी गई।

कृषकों को बेहतर कम्पोस्ट एवं अन्य जैवीय खादों जैसे वर्मी कम्पोस्ट बनाने तथा बिना हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों के बीमारियों एवं कीटों के नियंत्रण की तकनीकी जानकारी भी दी गई।

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य

इस गतिविधि को सरसावां विकास खण्ड के 10 गांवों में संचालित किया जा रहा है। ये गाव काफी दुर्गम हैं तथा तीन नदियों यमुना, बूढ़ी यमुना एवं मसकरा के बीच स्थित हैं। हर वर्षा ऋतु में ये गांव शेष जिले से नदियों के बढ़े हुए जल के कारण अलग थलग हो जाते हैं। गांवों की इस विशिष्ट स्थिति के परिणामस्वरूप इनके निवासियों के सामने कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चिंता का एक क्षेत्र है स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, तक पंहुच।

गांवों से निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 7 सं 22 किमी की दूरियों पर स्थित हैं। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र 1 से 4 किमी की दूरियों पर स्थित हैं। सार्वजनिक यातायात के साधन के लिए 10 में से छः ग्रामों के निवासियों को 0.5 किमी से 4 किमी की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना ग्रामवासियों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा यदि ये उपलब्ध भी हों तो सामान्यतः सामान्य लोगों को नहीं दी जाती हैं।

इस अंधकारमय परिदृश्य में कई सारे झोला छाप चिकित्सकों ने अपने क्लीनिक लगभग सभी गांवों में खोल लिए हैं। ये झोला छाप चिकित्सक निःसहाय माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं तथा उनका दोहन कर रहे हैं। इन चिकित्सकों के हाथों रोगियों की जान जाने के मामले भी कोई बहुत असामान्य नहीं हैं।

देश के एक प्रमुख कारपोरेट घराने आई. टी. सी. लिमिटेड के सहयोग लागू की जा रही यह गतिविधि इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है। हर गांव के लिए एक की दर से दस ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है तथा उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने–अपने गांवों में नोडल व्यक्ति हैं। इन्होंने सरकार के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क स्थापित किए गए हैं। ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता सरकार के स्वास्थ्यक कार्यकर्ताओं के निकट संबंध में कार्य करते हैं तथा पल्स पोलिया, माताओं तथा बच्चों के

टीकाकरण एवं परिवार नियोजन में भाग लेते हैं।

स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन न केवल माताओं एवं बच्चों के लिए किया जाता है, बल्कि वे सामान्य लोगों के लिए भी खुले रहते हैं। कैम्पों के प्रमुख बिन्दु हैं:

- पंजीकृत रोगियों की उचित जांच
- गर्भवती महिलाओं का समय से टीकाकरण
- बच्चों का टीकाकरण
- मलेरिया की समय से जांच

प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति के बावजूद, काफी बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी विद्यालय नहीं जाते हैं तथा विद्यालय छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है। तीन नदियों यमुना, बूढ़ी यमुना तथा मसकरा के बीच आने वाले 10 गांवों में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। इन 10 गांवों में से केवल चार गांवों में विद्यालय गांवों के अंदर स्थिति हैं।

इस स्थिति से निपटने के लिए दिशा इन गांवों में 10 शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहा है। लगभग 300 बच्चे जो कि शिक्षा से वंचित रह गए होते का इन केन्द्रों में प्रवेश कराया गया है ताकि उन्हें नियमित शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। एक वर्ष की शिक्षा, जिसका लक्ष्य है प्रारंभिक पढ़ने तथा लिखने की दक्षता विकसित करना, देने के बाद इन बच्चों का प्रवेश सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कराया जाएगा।

इन विद्यालयों में प्रयास किए जा रहे हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में कुछ और मूल्य जोड़े जाएं। इसके अंर्तगत निर्धन जरूरतमंद बच्चों को यूनीफार्म, पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाएं दी जा रही हैं। चूंकि ये बच्चे एक नुकसान की स्थिति में अपनी शिक्षा प्रारंभ करते हैं, इसलिए इन शिक्षण केन्द्रों पर उनके लिए अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है ताकि वे अन्य बच्चों के बराबर आ सकें।

इन शिक्षण केन्द्रों पर अनुदेशक स्थानीय हैं तथा उन्हें शिक्षण विधियों में दिशा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

आय उपार्जन

हाल के वर्षों में कई सारी पहलें की गई हैं ताकि ग्रामवासियों को आय उपार्जन के कुद विकल्प दिए जा सकें। ऐसा एक विकल्प है महिलाओं तथा किशोरियों को रेडीमेड कपड़ों के उत्पादन में प्रशिक्षण देना। तीस प्रशिक्षणार्थियों के चार बैचों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। हर प्रशिक्षण छः महीनों तक चला। अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों ने सहारनपुर नगर में व्यापारियों के साथ संबंध बना कर व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है।

आय उपार्जन दक्षताओं के विकास का एक और क्षेत्र कृषि परिक्षेत्र है। पारंपरिक वस्तुओं के उत्पादन से प्रारंभ किया गया। लेकिन बाद में मशरूम उत्पादन, अगर बत्ती उत्पादन, आदि, जैसी गतिविधियां भी प्रारंभ की गईं।

(ऊपर से) एक बच्चे को एक इमाम पोलियो ड्राप पिलाते हुए; शिक्षण केन्द्र पर बच्चे पढ़ते हुए; तथा एक प्रर्दशनी में प्रशिक्षणार्थी अपने उत्पादों का प्रर्दशन करते हुए

दिशा के वर्ष 20

2003: देहरादून

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए अभियान

(ऊपर कोने से घड़ी की सूइयों की विपरीत दिशा में) केदारावाला गांव में महिलाओं का मेला; मेले में महिलाओं की भीड़; उत्तरांचल के स्वैच्छिक संगठनों की कार्यशाला की एक झलकी; तथा एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नफीसा हुसैन

देहरादून जिले के मैदानी क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा काफी अधिक होती है। एक अनुमान के अनुसार क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है। दिशा ने जिले के मैदानी क्षेत्रों के एक भाग में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम पर एक अभियान को जनवनी 2003 में प्रारंभ किया।

अभियान के अंर्तगत मुद्दे पर क्षेत्र के निवासियों में जागरूकता का प्रसार करने के लिए यात्राएं निकाली जाती हैं तथा मेलों का आयोजन किया जाता है। पांच गांवों के एक संकुल में एक माह में एक यात्रा निकाली जाती है। पर्चों के रूप में अभियान सामग्री बांटी जाती है तथा छोटी नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं। यात्राएं संदेश देती हैं कि महिलाओं के विरुद्ध भौतिक हिंसा ही हिंसा का इकलौता रूप नहीं है। इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं जैसे कि बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखना, उन्हें उचित भोजन तथा पोषण न देना, लैंगिक एवं मानसिक उत्पीड़न, आदि। एक संकुल में यात्राओं की समाप्ति के बाद अगले दिन एक मेले का आयोजन किया जाता है। गांवों के नेता, राज्य तथा राष्ट्रीय ख्याति के प्रमुख लोग, मीडिया, आदि, को इन मेलों में आमंत्रित किया जाता है। यात्रा तथा मेले के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों को लिया जाता है।

यात्रा तथा मेला में पहचानी गई महिला नेत्रियों के लिए कानूनी साक्षरता कैंपों का आयोजन किया जाता है। इन कानूनी साक्षरता कैम्पों का फोकस महिलाओं पर होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसाओं से लड़ने के तरीकों पर होता है।

विषय वस्तु का और अधिक प्रसार देने के लिए मीडिया को अभियान

में सम्मिलित किया गया है। मीडिया के साथ संबंधों का निर्माण 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विभिन्न रूप तथा मीडिया की भूमिका' विषय पर एक सम्मेलन आयोजित कर प्रारंभ किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से मीडिया कर्मी प्रतिभागी थे। परिणामस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के समाचार अब समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रमुख स्थान पाने लगे हैं। फालोअप के रूप में समय समय पर बैठकों तथा मीडिया वार्ता का आयोजन किया जाता है।

मुद्दे को और अधिक विस्तार देने के लिए क्षेत्र में कार्यरत अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ नेटवर्क तथा संबंधों का निर्माण किया गया है। इन संगठनों के साथ संयुक्त आयोजन किए जाते हैं।

विद्यालयों एवं कालेजों के विद्यार्थियों को भी अभियान से जोड़ा गया है। उन्हें नुक्कड़ नाटक दिखाए जाते हैं तथा उनके बीच पर्चे बांटे जाते हैं ताकि उन्हें लैंगिक समता वाले समाज के सृजन के लिए अभिप्रेरित किया जा सके। वाद–विवाद तथा चित्रकला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।

क्षेत्र में विशिष्ट घटनाओं जैसे कि अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस को नियमित रूप से मनाया जाता है ताकि महिलाओं के मुद्दों के प्रति कटिबद्धता व्यक्त की जा सके एवं उनके विरुद्ध हिंसा समाप्त की जा सके।

(ऊपर कोने से घड़ी की सूइयों की दिशा में) महिलाएं 8 मार्च को अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्र हुईं; जाह्नवी तिवारी तथा नसीमा घोषणा पत्र पढ़ते हुए; तथा किशोरी शिक्षण की अनुदेशिकाओं के प्रशिक्षण का एक दृश्य

किशोरियों के लिए शिक्षा

उत्तरांचल के देहरादून जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों को साक्षर बनाने हेतु 11 शिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। ये किशोरियां मुख्य रूप से वे हैं जो कभी भी विद्यालय नहीं गईं, या जिन्होंने पारिवारिक 'उत्तरदायित्वों' के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इनमें से अधिकांश मुसलमान समुदाय से तथा कुछ अनुसूचित जातियों में से हैं।

शिक्षण केन्द्रों मे अपनाया गया पाठ्यक्रम उत्तरांचल सरकार की औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर निर्भर है। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जाए।

किशोरियों को शिक्षा प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित न रहे। स्वास्थ्य तथा पोषण के पहलू जो कि किशोरियों के आने वाले दिनों में काफी महत्पूर्ण हैं, की व्यावहारिक जानकारी भी दी जाती है ताकि उस दुश्चक्र को समाप्त किया जा सके जिसमें वर्तमान में महिलाएं फंसी हुई हैं।

किशोरियों को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा लैंगिक समानता के मुद्दों पर भी जागरूक किया जाता है। चूंकि सामान्य रूप से मुसलमान बालिकाओं को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है तथा उनका किसी भी प्रकार का बाहरी दुनिया से लेना देना नहीं होता है, इसलिए उनके द्वारा घरों में हिंसा का सामना करने तथा लैंगिक विभेद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार शैक्षणिक केन्द्र एक मंच की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं जहां पर किशोरियां पढ़ना तथा लिखना सीखने के साथ ही साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीख सकती हैं।

हर माह अभिभावकों की बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि कक्षा में उनकी बेटियों की प्रगति पर चर्चा की जा सके। इन बैठकों में उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है कि वे शिक्षा की महत्ता को समझें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने अन्य बच्चों को विद्यालय भेजेंगे।

हर केन्द्र पर औसतन 30 किशोरियां पढ़ रही हैं तथा उनकी औसत आयु 12 से 18 वर्ष के बीच है।

उपसंहार

पिछले पृष्ठों में हमने अपने 20 वर्षों के इतिहास का संकलन किया हैं। इतिहास को खानों में बांटना एक दुरूह कार्य है क्योंकि एक घटना से दूसरी घटना निकल कर आती है। दूसरी घटना पहली घटना से निकलती है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। घटनाओं से संगठन का विकास होता हैं। घटनाएं संगठन को बाध्य करती हैं कि वह सीखे तथा संभवतः भूले भी।

पिछले 20 वर्षों पर दृष्टिपात करते हुए हम पाते हैं कि ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने वास्तव में हमारे भविष्य का सृजन किया है। पहली घटना थी घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा तथा महिला मजदूर एवं लघु किसान मोर्चा का गठन। इन दोनों मोर्चों ने समुदाय के साथ हमारे संबंधों को बनाया तथा उन्हें सशक्त किया। बाद में इन दोनों संगठनों ने उस समुदाय के लिए संघर्ष किया जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इन संघर्षों ने हमें क्षेत्र में घर–घर लिया जाने वाला नाम बना दिया एवं हमारे नाम को राज्य तथा देश के कोने–कोने में ले गए।

इसके बाद हमारा संबंध एक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम महिलाओं की समता के लिए शिक्षा – महिला समाख्या – से बना। इससे हमारी उपस्थिति कुछ गांवों से बढ़कर सहारनपुर जिले के दो विकास खण्डों के 70 गांवों में हो गई। बाद में हमें सरकार के कार्य करने का वास्तविक अनुभव हुआ जब कार्यक्रम की रणनीति में परिवर्तन के कारण हमें इस कार्यक्रम से संबंधित अपनी संरचना सरकार द्वारा स्थापित महिला समाख्या समिति को सौंपने को कहा गया। हमने इनकार कर दिया। हमने धन के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की तथा एक अंर्तराष्ट्रीय दाता संगठन से हमें धन मिला भी।

उत्तरकाशी में 1991 में आया भूकंप हमें वहां पर भूकंप विरोधी तकनीकी का प्रर्दशन करने के लिए ले गया। तब से हम वहां पर उपस्थित हैं। हमने कुछ भवनों का निर्माण किया तथा उन्हें ग्राम प्रतिनिधियों को सौंप दिया। इसके बाद हमने अपना ध्यान जल, जंगल तथा जमीन जो कि पर्वतीय क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं की ओर दिया। बाद में हमने एक संयुक्त वन प्रबंधन परियोजन का क्रियान्वन किया तथा आज हम एक जलागम क्षेत्र का विकास करने में व्यस्त हैं।

पांच वर्ष बाद 1996 में हम टिहरी गढ़वाल जिले में गए। हांलाकि हमारा हस्तक्षेप काफी छोटा था इससे कुछ समुदाय आधारित संरचनाओं का सृजन हुआ। ये संरचनाएं उस समय काफी उपयोगी रहीं जब हम 1999 के भूकंप के बाद क्षेत्र में राहत कार्य के लिए गए। वर्ष 1996 हमारे लिए एक अन्य तरीके से भी महत्वपूर्ण था। इस वर्ष हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश अन्य स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों तथा विकास अभिमुख व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए लीड एजेन्सी के रूप में चुना गया। इस गतिविधि के कारण हमारा परिचय सभी प्रकार के संगठनों

प्रख्यात गांधीवादी निर्मला देशपांडे बान मजदूरों को गोदाम के हस्तांतरण के समय आयोजित एक कार्यक्रम में; (बीच में) दिशा की अध्यक्ष पूर्णिमा जैन सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र बांटते हुए; तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए एडवोकेसी पर प्रशिक्षण का एक दृश्य

संगठन द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में से कुछ की झलकियां

तथा व्यक्तियों के साथ हुआ तथा इनमें से कुछ के साथ हमने कार्य किया। हम अपने दर्शन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे विस्तृत क्षेत्र में विस्तार करने में सफल रहे।

तीन वर्ष बाद 1999 में हमारा पहला औपचारिक पूर्ण मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन प्रतिवेदन की अनुशंसा थी कि एक परिदृश्यात्मक नियोजन किया जाए, संगठनात्मक विकास किया जाए तथा संगठनात्मक संरचना को औपचारिक रूप दिया जाए। आने वाले तीन वर्षों में हमने ये सब किया। इससे हमें वास्तव में ऐक्टिविज्म तथा प्रोफेशनलिज्म के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिली। इस मूल्यांकन के पांच वर्ष बाद हम आज एक व्यावसायिक प्रबंधन वाला संगठन हैं।

वर्ष 1999 एक अन्य मायने में महत्वपूर्ण था। हमारा संबंध एक सरकार द्वारा प्रायोजित गतिविधि जिसका लक्ष्य कृषि का विविधीकरण था से हुआ। इस गतिविधि से हमारी पंहुच 100 के लगभग गांवों से बढ़कर लगभग 600 गांवों में हो गई। निः संदेह इससे प्रशासनिक पक्ष पर कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुईं।

गत वर्ष 2003 में हमने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रतिकार तथा किशोरियों को शिक्षा देने के साथ देहरादून जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक शुरुआत की। इस समय तक उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को अलग कर उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आ चुका था। इस नवजात राज्य में कार्य की असीमित संभावनाएं हैं। तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं कि हम वर्तमान में देश के दो राज्यों में कार्य कर रहे हैं।

इन सारे वर्षों में हमें फूल और पत्थर दोनों मिले हैं। संगठन तथा उसके कर्मियों को मिले कई सारे सम्मान तथा पारितोषिक इस बात के गवाह हैं। हमें स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए पारितोषिक मिले हैं। हमारी संचार टीम को कई स्थलों पर प्रर्दशन के लिए कई पारितोषिक मिले हैं। हमारी कार्यकर्ता रातरती तथा रेहाना को उनके अद्वितीय कार्य के लिए पारितोषिक मिले हैं। हमारे निदेशक के. एन. तिवारी को कई सारी प्रशंसाएं मिली हैं। ठनमें सामाजिक बहादुरी के लिए पारितोषिक सम्मिलित है। जिन लोगों के साथ हम कार्य करते हैं उन्होंने उनकी ध्वनि को अंर्तराष्ट्रीय स्तर तक पंहुचाया है।

लेकिन निहित स्वार्थों की शक्तिशाली लाबी आज भी हमें नहीं देख सकती है। वे हम में एक ऐसे प्रतिद्वंदी को देखते हैं जो उस क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को समाप्त करने पर आमादा है जिसमें हम कार्य करते हैं।

अब समय आ गया है कि हम कुछ देर के लिए रुकें (क्या यह वास्तव में संभव है) तथा आगे देखें। हांलाकि हमने दृश्य प्रभाव छोड़ा है वंचित लोगों की संख्या हमें रुकने की आज्ञा नहीं देती। अतः लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संघर्ष जारी रहेगा। यह हमारी वचनबद्धता है।